सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
२० मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी दुबे) : ११ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाले वक्तव्य की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

११ मार्च, १९५४ को सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न में एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि भारत में वर्ष में जो शोध कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं उन की कुल सामर्थ्य कितनी है ? मैं ने उत्तर में बताया था कि तीन शोध कारखानों की अर्थात् बर्मा शैल, स्टेन्डर्ड वेकम तथा कालटैक्स की कुल सामर्थ्य प्रतिवर्ष क्रमशः २० लाख गेलन १२ लाख गेलन, तथा ५ लाख गेलन है । यह आंकड़े जैसा कि मैं ने गेलन में बताये थे गेलन में न हो कर टनों में हैं ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : सदन से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करना चाहता हूं ।

विशेष विवाह विधेयक क्रमशः

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय विधि मंत्री के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब वाला, चूंकि यह एक बहुत अहम बिल है जिस पर हम गौर कर रह ह इसलिय इस के बारे में मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं । मुझे इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि यह बिल निहायत ही जरूरी है । मैं सारे हाउस की यह फीलिंग देखता हूं कि जो वक्त इस के लिये दिया गया है वह काफी नहीं है । हर एक मैम्बर पन्द्रह मिनट के अन्दर तमहीद ही तमहीद खत्म कर सकता है, इस के ऊपर इतने थोड़े वक्त में अपनी पूरी राय जाहिर नहीं कर सकता । चूंकि बहुत सारे मैम्बर चाहते हैं कि वह इस पर बोलें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जनाब वाला ने जो यह फरमाया कि शायद कल दोपहर के बाद इस का कंसीडरेशन खत्म हो जाये उस पर जनाब वाला मेहरबानी कर के दोबारा गौर करें। मेरी गुजारिश यह है कि आज और कल आप आफटर नून सैशन करें। (कुछ सदस्य : नहीं नहीं) उस के बाद काफी मेम्बरान ऐसे रह जायें जो कि नहीं बोल पाते तो इस बिल का कंसीडरेशन आइन्दा के वास्ते मुल्तवी किया जाय। (कुछ सदस्य: जी हां) यह न किया जाय कि इस का कंसिडरेशन बन्द कर दिया जाय। मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि आप इस पर रिव्यू करें।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : इस वाद विवाद में काफी सदस्य भाग लेना चाहते हैं, उन सभी को सुविधा देने के लिये यह आवश्यक है कि समय सीमा निश्चित कर दी जाये। इस विधेयक की खंडवार चर्चा करनी है क्योंकि माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते हैं वह खंडवार चर्चा कर के ही अधिक प्रभावशाली रूप में कहा जा सकता है। चूंकि यह सामान्य चर्चा है अतः निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिये।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : समय सीमा निश्चित नहीं करनी चाहिये। खंडवार चर्चा में वाद विवाद उसी खंड विशेष तक सीमित रहेगा। सामान्य चर्चा के लिए अधिक समय चाहिये।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : सभी सदस्यों को इस विधेयक पर बोलने का अवसर मिलना चाहिये। यह एक सामान्य विधेयक नहीं है अपितु एक ऐसा विधेयक है जिस के द्वारा सामाजिक रूढ़ियों में सरकार परिवर्तन करना चाहती है।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर,—दक्षिण) : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार के जो सामाजिक विधेयक आते हैं, उन पर अगर थोड़ा समय दिया जायेगा और कम से कम इस विवादग्रस्त विषय पर, तो इस से देश में बहुत असन्तोष होगा और मैं नहीं समझता कि एक या दो दिन में इस पर बहस हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब कल तक इस पर विचार हो जाये तो बाद में यह बिल आगे के सेशन के लिये मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री गिडवानी (थाना) : मेरा निवेदन है कि इस पर विचार अगले सत्र में किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री की क्या राय है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं तो आप की और सदन की स्वेच्छा पर निर्भर हूं। यदि सभी चाहते हैं कि विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार हो तो मैं उन के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। मध्याह्न पश्चात् बैठक रखते हैं अथवा अगले सत्र के लिये स्थगित करते हैं इस का निर्णय आप ही के ऊपर है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कल ही निश्चय हुआ था कि इस विधेयक के बारे में सत्र के शेष दिनों में विचार हो एवं इस की खंडवार चर्चा अगले सत्र में हो। सदन की आम राय है कि इस के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाय। सदन को इस के बारे में निश्चय करना है कि क्या खंडवार चर्चा की जाय अथवा केवल विचार किया जाय ?

मध्याह्न पश्चात् की बैठकों ....

कुछ माननीय सदस्य : मध्याह्न पश्चात् बैठकें नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का निश्चय सदन के ऊपर ही छोड़ता हूं। बैठक की समाप्ति

से पूर्व ही इस के बारे में आप को निर्णय कर के बता देना चाहिये ।

श्री टेकचन्द : (अम्बाला-शिमला) : मेरे विचार में जिन्हों ने विस्तृत विमति टिप्पणियां भेजी हैं कम से कम उन को १५ मिनट से अधिक समय मिलना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक के बारे में जिन्हों नें कभी भी कुछ नहीं कहा है उन्हें प्रवर समिति के सदस्यों की अपेक्षा अधिक समय मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस की चर्चा की जायेगी । आज वे सदस्य बोलेंगे जिन्हों ने अभी तक कछ नहीं कहा है । इस के बाद कल फिर उन सदस्यों की बारी होगी जो अपने अपने दल की ओर से बोलेंगे ।

पहले उन सदस्यों को अवसर मिलेगा जिन को सत्र के आरम्भ से ले कर अब तक समय नहीं मिला है, उस के बाद वे सदस्य बोलेंगे जिन्होंने विवाह, विवाह-विच्छेद या विशेष विवाह विधेयक में भाग नहीं लिया है । अतः सदस्यों को इस के बारे में स्वयं ही निश्चय कर लेना चाहिये क्योंकि मेरे पास उन की कोई सूची नहीं है ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : कल मैं खंड २५ और २६ की चर्चा कर रहा था और मैं ने निवेदन किया था कि खंड २६ त्रुटिपूर्ण है । जहां तक खंड २५ का सम्बन्ध है उस में शून्य घोषित करने योग्य विवाहों के मामले में कुछ पोल मालूम होती है, उस पोल को दूर करना होगा और एक उपबन्ध के द्वारा खंड २५ के अन्तर्गत कुछ मामलों में कुछ बच्चों को और सत्ता प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी ।

विवाहों के पंजीयन वाला उपबन्ध एक ऐसा उपबन्ध है जो विवाहित पुरुषों को और विवाह करने की सुविधा देता है । अतः मेरा विचार है कि यह खंड ज्यों का त्यों रहना चाहिये ।

खंड १५ (ड़) के विरुद्ध कुछ आपत्ति उठाई गई है. इस में कहा गया है कि विवाह की प्रतिषद्धि पीढ़ी के मामले में --यदि विवाह किसी भी विधि या विधि सरीखी शक्ति वाली रूढ़ि या प्रथा के अधीन हुआ है-- तो ऐसे व्यक्तयों को जिन्हों ने ऐसी रूढ़ि के अधीन विवाह किया है अपने आप का पंजीयन करा लेना चाहिये । इस के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उन के लिये ऐसा उपबन्ध होना चाहिये अन्यथा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रूढ़िगत विधि के अन्तर्गत विवाह किया है इस अधिनियम के उपबन्धों से लाभ उठाने से वंचित हो जायेंगे । आखिर यह तो सभी मानते हैं कि यह विधान बहुत व्यापक आधार वाला है । अतः मेरा विचार है कि खंड १५ का उपखंड (ड़) ज्यों का त्यों रहना चाहिये और उस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये हालांकि प्रारम्भ में विवाहों के पंजीयन के लिये प्रतिषिद्ध पीढ़ी अब भी लागू होगी ।

विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में यह प्रश्न मतभेद का है कि क्या पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी जाये या नहीं । यह एक वह नया खंड है जो राज्य परिषद् ने विधेयक में जोड़ा है । यह खंड २७ का उपखंड (८) है ।

मेरा विचार है कि यह उपबन्ध नहीं होना चाहिये । मेरा विचार है कि हमारे देश में यह विवाह-विच्छेद हमारे यहां की विवाह प्रथा में एक नई चीज़ है । मैं नहीं चाहता कि इस विधान के अधीन पंजीयन होने वाले विवाह ऐसे हों जो दो दिन के बाद ही समाप्त हो जायें । इस से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पक्ष समझौता कर लें कि वे आपस में विवाह कर लें साथ साथ रहें और कुछ दिन के बाद अलग हो जायें । एक प्रकार

[श्री एन० सोमना]

से यह प्रयोगात्मक विवाह होगा । अतः मेरा विचार है कि इस खंड की निविष्टि नहीं होनी चाहिये । अतः इस को निकाल देना चाहिये ।

सामान्यतः अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन को मान्य है । मेरा निवेदन यही है कि इस विधेयक को बिना अधिक वाद विवाद के पास करना है क्योंकि मुख्य मुख्य बातों के बारे में तो सभी सहमत हैं यदि कुछ विवादास्पद बातें हैं तो बहुत थोड़ी सी हैं । अतः सदन इसे शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार कर दे । ताकि इस से लाभ उठाने वाले व्यक्ति इस का सदुपयोग यथाशीघ्र कर सकें ।

श्री के० आर० शर्मा (जिला मेरठ—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन इस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिन लोगों को किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार उन परम्पराओं से हट कर, जो कि बहुत पुराने ज़माने से हमारे देश में चली आती हैं, विवाह करने की आवश्यकता हो उन्हीं के लिये इस में प्रावीजन होना चाहिये । हमारी जो पुरानी परम्परायें हैं उन पर कम से कम आघात होना चाहिये । इस बिल के सम्बन्ध में और जो पहले हिन्दू मैरिज एंड डाईवोर्स बिल इस सदन में पेश हुआ था उस के सम्बन्ध में एक महिला सदस्या ने यह कहा था कि चुनाव के समय स्त्रियों ने हम को इसी आधार पर राय दी थी कि ये बिल जल्दी से जल्दी यहां पर पेश हों और पास हो जायें । मैं इस मत का नहीं हूं । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जब चुनाव के समय हम जनता के सामने गये तो वहां बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आया कि, हिन्दू कोड बिल, जिस को जनता चाहती नहीं, उस को कांग्रेस जनता के ऊपर थोपना चाहती है । हम ने उन से यही कहा था कि हिन्दू कोड बिल जिस रूप में पहले पार्लियामेंट में आ रहा था उस रूप में पार्लियामेंट नहीं आयेगा बल्कि उस के जो जो बातें जनता को पसन्द नहीं हैं वे उस में से निकाल कर बिल सदन में पेश किये जायेंगे । और जिन जिन हिस्सों को जनता पसन्द नहीं करती वे जनता के ऊपर थोपे नहीं जायेंगे ।

यह कह कर हम ने इलैक्शन में भाग लिया था और इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए जनता ने हम को राय दी थी । यह कहना ग़लत है कि उन सारी चीज़ों को मानते हुए जो कि हिन्दू कोड बिल में रक्खी गई थीं जनता ने हम को राय दी थी । कुछ स्त्रियां बड़े जोर से इस कोशिश में थीं कि यह दोनों बिल जल्दी से जल्दी इस सदन में आयें । मैं नहीं समझता कि क्या बड़ी भारी जल्दी उन को थी और क्या परेशानियां और ज्यादा पैदा होती जा रही थीं जिन से कि इन पर और अधिक अच्छी तरह से सोच विचार कर के ये बिल पेश नहीं किये जा सकते थे ताकि जो खराबियां उन में रह गयी हैं, वह हम दूर कर सकते और मैं नहीं समझता कि अगर खूब इन पर सोच विचार और मनन कर के इन को सदन के सामने पेश किया जाता तो क्या परेशानी की बात होती ? मेरा ख्याल यह है कि जिन स्त्रियों ने इतनी जल्दी इन बिलों के सम्बन्ध में की है वह हमारे भारत के स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं और वह हमारे ख्याल से भारतीय नारीत्व पर पश्चिमी कलम है और जैसे कि आम होता है कलमी और तुख्मी, उसी प्रकार से वे भारतीय नारीत्व पर पश्चिमी कलम के समान चढ़ी हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि भारतीय नारी का वह पूरे तौर से प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । यह मैं मानता हूं कि जनता की वैसी ही प्रतिनिधि वह भी हैं जैसे कि हम हैं, लेकिन

भारतीय नारीत्व का वह प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, केवल उन की बात इन बिलों के सम्बन्ध में मान ली जाय, इस बात को मैं नहीं मानता, मेरा ख्याल यह है कि हम को बहुत सोच समझ कर इन बिलों के सम्बन्ध में चलना चाहिये और जो कोई भी चीजें इन में ऐसी हों जिन को कि जनता पसन्द नहीं करती, उन को जनता के ऊपर हमें जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिये । मेरा ख्याल यह है कि विशेष परिस्थिति में जिन लोगों को अपनी परम्पराओं को छोड़ कर विवाह करने की आवश्यकता पड़ गई है, केवल उन को इस बात की इजाज़त दे देनी चाहिये लेकिन जो पुरानी परम्परा के अनुसार चलना चाहते हैं उन को उसी तरह से चलने देना चाहिये । इसलिये मेरा यह ख्याल है कि इस बिल में जो इस बात की इजाज़त दी गई है कि जिन लोगों ने पुराने हिन्दू या मुस्लिम तरीकों के अनुसार अपने विवाह किये हों, उन को भी इस कानून के अनुसार अपने विवाह रजिस्टर कराने की इजाज़त दे दी जाये, यह प्रावीज़न इस में से निकाल देना चाहिये ।

इस के अलावा डाइवोर्स, तलाक के सम्बन्ध में और दूसरे जो प्रावीजन्ज़ हैं उन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो लोग चाहें उन को मौका तो देना चाहिये और पूरी तौर से उन को इस कानून के मातहत शादी करने और तलाक की सहूलियत होनी चाहिये, लेकिन किसी भी सूरत में लोगों को अपनी परम्पराओं को छोड़ने के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जहां तक यह कहा जाता है कि पुरानी परम्पराओं में डाईवोर्स है, मैं मानता हूं कि डाईवोर्स वहां पर है और हमारे यहां समय समय पर ला गिवर्स ने रास्ता भी दिखाया है और कहा है :

"श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्नः –
नैको मुनिर्यस्य मतः प्रमाणम्
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्
महाजनो येन गतः सःपन्था ।"

श्रुति भी भिन्न भिन्न हैं और स्मृति में भी भिन्न मत प्रकट किये गये हैं । इस में कहा गया है कि बड़े आदमी जिस रास्ते पर चलते हों, उसी रास्ते पर लोगों को चलना चाहिये । तो मैं कहता हूं कि यदि टंडन जी और श्री एम० अनंतशयनम् अय्यंगार डाईवोर्स करने लगें या हमारी उमा नेहरू जी और श्रीमती जयश्री डाईवोर्स करने लगें तो दूसरे लोग भी उन के पीछे चलें और डाईवोर्स करें। यह सीधा तरीका हमारे यहां दिखलाया गया है और इस के रहते मैं नहीं समझता कि इस डाईवोर्स के प्रावीज़न रखने की क्या ज़रूरत है ? मेरा तो मत यह है कि बेशक जिन लोगों की विशेष परिस्थिति हो, उन को इस कानून में प्रावीज़न कर के उस के लिये मौका दिया जाये लेकिन पुरानी परम्परा से हटने के लिये लोगों को प्रोत्साहन न दिया जाय यह बात कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं (रक्षा मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं आप से निवेदन करता हूं कि जो सदस्य इस विषय का ज्ञान रखते हैं, उन्हें इस बात का विचार किये बिना कि वे बोल चुके हैं अथवा नहीं, या कितनी बार बोल चुके हैं, बोलने का अवसर दें । अतः मेरा यही निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि जो सदन में अभी तक नहीं बोल पाये हैं आज वे बोलेंगे और शेष प्रकार के सदस्य कल । यदि प्रधान मंत्री बोलना चाहते हैं तो उन के लिये कोई भी नियम नहीं है । वह कभी भी और किसी भी समय आ कर बोल सकते हैं । मैं ने कहा है कि दल के नेता या उन के प्रतिनिधियों को भी बोलने का अवसर मिलेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

यह एक ऐसा विधेयक है जिस के बारे में सदन में सभी प्रकार के दृष्टिकोणों का विश्लेषण हो ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो सदस्य बिल्कुल भी नहीं बोल पाये हैं केवल वही बोलेंगे तो दलों के नेताओं को जो बार बार बोलते हैं बोलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी दलों के नेताओं के लिये कल का दिन निश्चित है । मैं तो पूर्णतया सदन पर ही निर्भर हूं । मेरे पास अनेकों पत्र आये हैं जिन में सदस्यों ने उपालम्भ दिया है कि मैं उनको बोलने का अवसर नहीं देता, महिलायें शिकायत करती हैं कि उन की अवहेलना की जाती है, मैं कह नहीं सकता सदन के नेता को भी ऐसे पत्र मिलते हैं अथवा नहीं ।

इस के लिये कि कौन कितना समय लेगा दलों के नता को चाहिये कि वे मुझे लिख कर दें कि उन के दल के कौन सदस्य कितनी देर बोलेंगे । मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है । सभी शिकायत करते हैं कि उन को बोलने का अवसर नहीं मिला ।

अतः मैं यह प्रयत्न करूंगा कि सभी विचारों के व्यक्ति अपना अपना दृष्टिकोण रखें । यदि सदन यह चाहता है कि इस विधेयक के बारे में इन व्यक्तियों को अवसर न दिया जाय तो मैं वैसी नीति अपना लूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मेरा निवेदन है कि आगे से सभी दलों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिये ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव: सामाजिक तथा गैर दलीय मामलों में अमुक वर्ग को इतना समय मिला अथवा अमुक को इतना समय मिला, यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये । हम सभी सदन के समय का उपयोग करने के अधिकारी हैं

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : किन्तु इस के लिए किसी अमुक वर्ग को क्यों छोड़ना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है । यह आरोप अनुचित है । सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है ।

अब मैं वाद विवाद को नियमित करूंगा । आज वे बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोल पाये हैं और कल विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे । यदि कोई दलीय नेता आज बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अच्युतन (कोंगाल्नूर) : संसद् के वर्तमान सत्र में भारत के सम्बन्ध में यही सब से महत्वपूर्ण विधेयक है । हम देश में ऐसा समाज चाहते हैं जो कट्टरपन्थी न हो । धर्म का अपना स्थान है । परन्तु लोग प्रगतिशील हैं और विचार के लिये कोई सीमा नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्मगुरुओं को इकट्ठे बैठ कर कोई ऐसा हल निकालना चाहिये जिस से विभिन्न धर्मों के लोग एक परिवार में माता या पिता, पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री के रूप में रह सकें । यदि हम तर्क से काम लेंगे, तो विश्व की ये सारी समस्यायें हल हो जायेंगी । देश के विचारशील व्यक्तियों का यही मत है कि एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले से और एक जाति वाले को दूसरी जाति वाले से विवाह होने में धर्म जाति या सम्प्रदाय के कोई बन्धन नहीं होने चाहियें । इस विधेयक में हमारे लिये कोई हानिकारक चीज़ नहीं है । मैं यह तो नहीं जानता कि लोग इसे कहां तक स्वीकार करेंगे, किन्तु मैं तना कह सकता हूं कि हमारे आज कल के कालिजों के लड़के और लड़कियां इस का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करेंगे । यह एक शुभशकुन है कि लोग जात-पात के मोह को छोड़ने लगे हैं ।

इस विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । जैसा कि विधि मंत्री ने बताया इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग विवाह के विषय में धर्म से न चिमटे रहें और दुस्साध्य मामलों में विवाह-विच्छेद हो सके । चाहे विवाह-विच्छेद का कभी अवसर न ही आये किन्तु एक अच्छा समाज और अच्छा जीवन बनाने के लिये हमें स की व्यवस्था कर देनी चाहिये । इस सदन में मैं ने यह कहते सुना है कि हिन्दू धर्म खतरे में पड़ गया है । क्या आप बता सकते हैं कि इस समय कितने प्रतिशत लोग इस तथा-कथित हिन्दू विधि का पालन करते हैं ? हां, इस से ब्राह्मणत्व को अवश्य खतरा है । किन्तु हमें इस की चिन्ता नहीं । हम न केवल हिन्दू धर्म की, अपितु सारे विश्व की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहते हैं । हमें अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाना चाहिये और जाति तथा धर्म से रहित समाज का निर्माण करना चाहिये ।

इस विधेयक में जो आयु-सीमा दी हुई है, मेरे विचार में वह ठीक ही है । लड़के तथा लड़की की अवस्था काफी परिपक्व होनी चाहिये जिस से वे इस विशेष विधि के अन्तर्गत विवाह करने के परिणामों को अच्छी प्रकार समझ सकें । इसे घटाने का कोई कारण नहीं है । विवाह का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः आयु-सीमा कम से कम २१ अवश्य होनी चाहिये ।

यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो धारा ४ में बताई हुई शर्तों के अनुसार उस की सुनवाई कर के यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र उसे निबटा देना चाहिये ।

मेरे विचार में धारा १५ में अधिक बल नहीं है । इस में सब प्रकार के विवाह नहीं आने चाहियें । रूढ़ि के अनुसार कुछ ऐसी विवाह पद्धतियां हो सकती हैं जो अपनी सन्तान के लिये वैधानिक रूप से मान्य न हों । इस विषय में यह उपबन्ध होना चाहिये कि रीति रिवाजों से भिन्न विधि से विवाह कराने वाले माता पिता का दण्ड सन्तान को नहीं दिया जा सकता ।

इस विधेयक में सब से अधिक महत्व-पूर्ण विषय विवाह-विच्छेद है । मैं उपाध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि विवाह-विच्छेद सामान्य नहीं हो सकते । यदि प्रति दिन विवाह-विच्छेद होने लगें तो समाज नष्ट हो जायेगा । इस के पीछे सामाजिक बहिष्कार इत्यादि सामाजिक दण्ड है । पति और पत्नी में मन-मुटाव हो सकता है, किन्तु जब वे धीरे धीरे जब वे पति पत्नी से पिता माता बन जाते हैं, तो यह दूर हो जाता है। इस प्रकार अपना आत्म-निरीक्षण करने से ये मतभेद दूर हो जायें और कोई दुखान्त घटना नहीं होगी । हमारे में वह हजारों वर्षों की अच्छाई और अच्छे जीवन के सम्बन्ध में सोचने की शक्ति अब भी विद्यमान है । हमें इस चीज से भयभीत नहीं होना चाहिये । देखिये कि इस विधेयक के उपबन्ध कैसे कार्य करते हैं । और फिर यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो, इस अधिनियम में वह रूपभेद कर दिया जाये । मुझे आशा है कि इस से देश में शोक और शत्रुता की भावना घटेगी और मित्रता उस का स्थान ले लेगी और सब लोग एक जाति, एक धर्म तथा एक परमात्मा को मानने लगेंगे ।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) : एक क्रान्तिकारी विधान होने के कारण मैं इस का स्वागत करता हूं । इस विधेयक में अन्तर्जातीय तथा अन्तर्धार्मिक विवाह की व्यवस्था है । इस में इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करने वाले विभिन्न धर्मावलम्बियों को कुछ सुविधायें दी गई हैं ।

[श्री सी० आर० चौधरी]

६ म० पू०

यदि इस विधेयक को ठीक प्रकार क्रियान्वित किया जाये तो इस से राष्ट्र में एकता बढ़ेगी। हम जानते हैं कि अब धर्म को मनुष्य-मात्र की प्रगति में बाधक समझा जाता है। हमारे यहां कई मत-मतान्तर हैं। वर्तमान विधि के अन्तर्गत एक उपजाति वाला दूसरे उपजाति वाले से विवाह नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। १९४८ में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिस में अन्तर्जातीय तथा उपजातीय विवाह की अनुमति दे दी गई है।

श्री सी० आर० चौधरी : जी हां, किन्तु इन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता। मेरा यह कहना है कि समाज में जाति, समुदाय तथा धर्म के होने से एकता में बाधा पड़ती है, अतः उस बाधा को यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र दूर कर देना चाहिये। इस में विदेशों में भारतीय नागरिकों के परस्पर किये गये विवाहों को मान्यता देने के लिये भी उपबन्ध है। जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं उन्हें अपने विवाह पंजीबद्ध करवा कर इस अधिनियम से लाभ उठाने के लिये भी इस में उपबन्ध किया जा रहा है। कुछ रूढ़िवादी तथा कट्टर लोग इस का विभिन्न कारणों से विरोध कर रहे है। उन्हें इस विधेयक के उपबन्धों का विरोध नहीं करना चाहियें क्योंकि यह राज्य के कर्तव्याणार्थ बनाया गया है। इस से 'धर्म खतरे में है' के तर्क को कोई स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह तो एक अनुमति देने वाला विधेयक है जिस से लोग अपनी इच्छानुसार लाभ उठा सकते हैं। आज कल के समाज का झुकाव संविदात्मक विवाहों की ओर है। अतः हमारी राष्ट्रीय सरकार तथा समाज को न सब बातों पर विचार करके तदनुसार विधान बनाना चाहिये। इस से धर्म तथा सामान्य सामाजिक रचना खतरे में नहीं पड़ेगी। आखिर हरेक इस बात को मानता है कि राष्ट्र समाज में कोई क्रान्तिकारी सुधार करना चाहता है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसी व्यवहार संहिता बनाई जाये जो विवाह के सम्बन्ध में देश के सभी धर्मों के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। अतः इस के लिये इस प्रकार के इस विधेयक का हमें स्वागत करना चाहिये।

राज्य परिषद द्वारा पारित किये गये इस विधेयक का खण्ड ४ व्यापक नहीं है। खण्ड ४ का क्षेत्र इसलिये सीमित है क्योंकि इस में ऐसे विवह की अनुमति नहीं दी गई जो रूढ़ि और प्रथा के अन्तर्गत हो सकता है, क्योंकि वह प्रतिषिद्ध श्रेणियों में आ जाता है। दक्षिण में रूढ़ि और प्रथा द्वारा प्रतिषिद्ध क्षेणियों में आने वाले विवाह की अनुमति है। इस प्रकार के पक्ष इस अधिनियम के अन्तर्गत सीधे पंजीकरण करवा कर विवाह सम्पन्न नहीं कर सकते। परन्तु यदि दोनों ही हिन्दू हों, तो सम्भवतः हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक के अन्तगत, जो कि बनने वाला है इस प्रकार के विवाह को करने की अनुमति दे दी जाय। यदि उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पन्न हुए विवाहों का बाद में पंजीकरण करवाना होगा, तो इस विधेयक के खण्ड १५ में इसकी अनुमति दी हुई है। अतः इस विधेयक के खण्ड ४ के क्षेत्र को सीमित करने से कोई लाभ नहीं।

जब वयस्कता अधिनियम में १८ वर्ष की आयु दी हुई है और यह समझा जाता है कि इस आयु में प्रत्येक व्यक्ति व्यवहारिक विषयों को निबटाने के लिये पर्याप्त परिपक्व हो जाता है तो विवाह के सम्बन्ध में इसे क्यों बदला जाये। पुरुष या स्त्री दोनों ही अट्ठारह वर्ष के होने पर परिपक्व वृध्दि के

समझ जाते हैं और सम्पत्ति या सामाजिक सम्बन्धों के बारे में भी कोई संविदा कर सकते हैं । अतः २१ वर्ष की आयु-सीमा नहीं होनी चाहिये । मेरे विचार में अट्ठारह वर्ष की आयु के लोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विवाहों का पंजीकरण करवा सकेंगे । इस प्रकार स अधिनियम का क्षेत्र भी बढ़ जायगा ।

इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्पन्न हुए शून्य विवाह के सम्बन्ध में खण्ड २४ (१) (ii) में लिखा है कि यदि प्रतिवादी विवाह के समय और अभियोग चलाने के समय नपुंसक था तो विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा । परन्तु इस के साथ ही खण्ड २६ में लिखा है कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न बच्चों को औरस घोषित कर दिया जायेगा । मुझे समझ नहीं आता कि नपुंसक व्यक्ति के बच्चे कैसे हो सकते हैं । यह एक निरर्थक खण्ड है । न्यायालय चाहे उस की सन्तान को औरस घोषित कर दे, किन्तु लोग तो ऐसा नहीं मानेंगे ।

बच्चा तो किसी न किसी का होगा ही । यदि आप घोषित कर दें कि अमुक व्यक्ति किसी क्लीव की सन्तान है तो यह बेहूदा बात होगी, यह स्त्री के दुराचारिणी होने का प्रमाण होगा । इस पर विचार करना होगा ।

राज्य परिषद् ने खंड (ट) में सहमति से विवाह-विच्छेद की व्यवस्था की है । यह ठीक है कि क्योंकि दोनों अलग होना चाहते हैं तो कोई रोके क्यों ? हां, बच्चों के लिय व्यवस्था करनी होगी । यह उचित है और कोई इस का विरोध नहीं करेगा । पुनर्विवाह एक वर्ष के बाद ही हो सकता है । इस अवधि को हटा कर इंगलैंड के समान छः मास कर देना चाहिये । १½ या २ वर्ष तो मुकद्दमा समाप्त होने तक लग ही जायेंगे ।

खंड ३६ के उपखंड (३) में पोषण-व्यय को बन्द करने के लिये "दुराचार" को आधार बनाया गया है । किसी स्त्री पर "दुराचार" का दोष लगाया जा सकता है परन्तु उस का सिद्ध करना कठिन है । इस से खूब मुकद्दमेबाज़ी होगी बेचारी अलग रहने वाली पत्नी को बहुत परेशानी रहेगी दुराचार जैसे अस्पष्ट शब्द के स्थान पर रखेल रहने या वेश्या बनने का उल्लेख होना चाहिये ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरट) : पूरे देश के लिये एकरूप व्यवहार संहिता बनाने के कारण इस विधेयक का बड़ा महत्व है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद ४४ की पूर्ति कर रहा है । यह देश को एक-सूत्र में बांधता है । हमें इसी दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिये । आज देश में विवाह और तलाक के विषय में परस्पर, विरोधी व्यक्तिगत विधियां चल रही हैं । मुस्लिम विधि में कुछ विवाह अच्छे माने जाते है, पर वे हिन्दू विधि के अनुसार उचित नहीं ठहरते, अतः सर्वसाधारण विधि बनाने में इस विधेयक को तैयार करने वालों को बड़ी कठिनाई हुई है । फिर भी खंड ४ के उपबन्ध संतोषजनक हैं । धर्म को दूर रखते हुए निषिद्ध संबंधों वाले वर्गों को छोड़ और कोई विवाह निषिद्ध नहीं ठहराया गया है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : एक औचित्य प्रश्न पर । विधि मंत्री उपस्थित नहीं हैं । क्या गृह मंत्री इस विधि के प्रभारी हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) इस समय मुझे विधेयक का प्रभारी माना जाना चाहिये । मैं ध्यान से सुन रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बातें करते हुए भी सुन सकते हैं ।

श्री एन० पी० नथवानी : तो निषिद्ध संबंधों वाले वर्गों की कोई परिभाषा नहीं की गई है, पर कुछ सम्मेलनों को उस के अन्तर्गत मान लिया गया है। जहां तक खंड ४ का सम्बन्ध है यह ठीक है, पर खंड १५ परंपरागत विवाहों के पंजीयन का उपबन्ध करते हुए इस पहलू को छोड़ देता है । इस पर आगे बात करने से पहले मैं आयु सम्बंधी विवाद को लूंगा । १८ को कम मानते हुए कुछ लोग इसे २१ करना चाहते हैं, मेरी समझ से इसे बीच में रख कर २० कर देना चाहिये । पर यदि इसे १८ रखा जाए, तो संरक्षकों के संरक्षण का कुछ उपबन्ध अच्छा रहेगा, और बड़े बूढ़ों द्वारा विवाहों की व्यवस्था होना अच्छा रहेगा ।

अध्याय ३ मुझे पूर्णतः असन्तोषजनक लगता है । कई बातों के मिश्रण से गड़बड़ी बढ़ गई है । संदिग्ध वैधता वाले विवाहों को वैध कराने के उपबन्ध ठीक हैं, परन्तु पहले से वैध विवाहों पर इसे लागू करने के बारे में मैं दो बातें कहूंगा । पहले तो शायद व्यक्तिगत विधि के अधीन हुए विवाहों को उत्तराधिकार और एकपत्नीत्व का लाभ देने के लिये ऐसा किया जा रहा है, पर ऐसी संभावना बहुत दूर है और उस के लिये विधि में उपबन्ध करना उचित नहीं है । दूसरे उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हम हिन्दू विधि में भी वैसे ही परिवर्तन करने जा रहे हैं, अतः उस के लिये भी यह उपबन्ध आवश्यक नहीं है । मुझे भय है कि तलाक के उदार उपबन्धों का लाभ उठाने के लिये ही लोग व्यक्तिगत विधि के अनुसार सम्पन्न विवाहों को भी पंजीबद्ध कराने लगेंगे ।

मैं नहीं समझता कि परंपरागत विवाहों को इन विवाहों की सूची में क्यों रखा गया है, यदि इन को भी लेना था तो खंड ४ में एक वैसा उपबन्ध कर देना अधिक अच्छा रहता । ऐसा लगता है कि इस विधेयक के निर्माता एकरूप विधि का लक्ष्य दिखाने के लिये ही ऐसा कर रहे हैं, पर वह यह बात चुप चाप पीछे से कर देना चाहते हैं। यह बात विधान को निम्न कोटि का बना देती है ।

तलाक के विषय में बड़ा मतभेद रहा है । विवाह चाहे संविदा के रूप में हुआ हो या संस्कार के रूप में , उस से केवल दो ही व्यक्ति संबंधित नहीं होते । सामाज का कल्याण भी परिवार और गृहस्थी की अखंडता पर ही निर्भर है । यद्यपि कुछ परिस्थितियों में तलाक न मिलना भी ठीक नहीं है, पर वह उतना आसान न होना चाहिये । विवाह यथासंभव पूरे जीवन के लिये होना चाहिये । तलाक के उचित आधार बता सकना भी कठिन है । खंड २७ के उपखंडों में बताये गये आधार दो कोटियों में आते हैं । पहले तो दुराचार, रोग, उन्माद आदि से संबंधित हैं । दूसरी कोटि में पारस्परिक सहमति से तलाक दिलाने वाला अंतिम उपखंड आता है। इसी बात को ले कर बहुत विवाद चल रहा है और एक संशोधन कम से कम एक वर्ष की अवधि रखना चाहता है । पर यह उपचार नहीं है । एक बार घोषणा कर के लोग पीछे न लौटेंगे, और दूसरे इस से लोग बिना समझे बूझे ही विवाह करने लगेंगे । क्षणिक भावुकता में विवाह करने वाले लोग कुछ समय बाद विवाह विच्छेद कर देना ठीक समझने लगेंगे । अस्थायी विवाद को झगड़े से ही सुख न मिलने के नाम पर लोग विवाह का विघटन चाहेंगे और भूल जायेंगे कि सुख बना बनाया नहीं मिलता बल्कि बनाना पड़ता है । और विवाह संबंध आत्मसंयम और निरोध के आधार पर विकसित हुआ है ।

यद्यपि दोनों की पारस्परिक सहमति का उपबंध है, परन्तु आगे चल कर यह एक पक्षीय बात बन जायेगी, क्योंकि एक के वैसा चाहने पर दूसरा आत्म सम्मान की दृष्टि से अपनी सहमति न रोक सकेगा। पारस्परिक सस्योग की कमी से भी पार्थक्य सरल हो जायेगा। सहमति दे देने के सिवा और कोई चारा ही उस के लिये न रहेगा। इस से समाज विश्रंखलित हो जायेगा। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू संहिता विधेयक में हमें तलाक का उपबन्ध रखना ही है। अतः इस प्रकार का घोर परिवर्तन करने से पहले हमें समाज पर इस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये।

तलाक अपवादभूत स्थितियों में और मूल सुधार के लिये है। यह नियम नहीं बन सकती। यदि इसे क्षणिक आवेश में विवाह के बंधनों से छुटकारा दिलाने का माध्यम बना दिया गया, तो यह हमें पीछे की ओर ले जायेगी।

श्री एच० जी० वैष्णव (अंबड़) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। पर जब हिंदू विवाह तथा तलाक विधेयक चल रहा है, तब इसे क्यों लाया जा रहा है। हां वह व्यक्तिगत है और संकीर्ण दृष्टिकोण वाला है और यह व्यापक दृष्टिकोण वाला है। यह कुछ विशेष प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहित करना चाहता है। १८७२ में बने विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विभिन्न धर्मों वाले व्यक्ति पंजीबद्ध हो कर विवाह कर सकते थे, परन्तु उन्हें कहना पड़ता था कि वे किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। यह बाधा अब नहीं रही है। उस में इस विधेयक की अपेक्षा कुछ सीमित रूप में तलाक का भी उपबन्ध था। यह विशेष विवाह विधेयक सर्वसाधारण प्रकार का है और व्यक्तिगत विधि वालों को भी सर्वसाधारण विधि के अधीन आने के लिये कुछ सुविधायें देता है।

खंड १८ के अनुसार किसी भी प्रथा के अधीन संपन्न हुए विवाह इस अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध किये जा सकते हैं। संविधान में पूरे देश के लिये एक सर्व सामान्य व्यवहार-विधि बनाने का उपबन्ध है, और व्यक्तिगत विधि वालों को सर्वसामान्य विधि के अधीन आने की कुछ सुविधा दिये बिना उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। खंड १८ के अनुसार हिंदू या मुस्लिम या किसी भी व्यक्तिगत विधि के अधीन विवाह करने वाला व्यक्ति इस सामान्य विधि के अधीन पंजीबद्ध हो कर इस के लाभ उठा सकेगा।

फिर विशेष विवाह विधि के अधीन विवाह करने वाले व्यक्ति के संयुक्त परिवार से संबंध टूट जायेंगे और उस का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार पर अधिनियम के अनुसार शासित होगा। इस बात पर आपत्ति की गई है, पर मेरी समझ से यह अत्यावश्यक है। वैसा न करने से संयुक्त परिवार के ढांचे में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। वह परिवार की संपत्ति से वंचित हो जाए, ऐसी बात नहीं है और संयुक्त परिवार का कोई सदस्य आपत्ति न करे, तो वे संयुक्त रूप में रह सकते हैं। विधेयक के खंड १९ में केवल उन के वैध अधिकारों और स्थिति को स्पष्ट किया गया है। वैसे भी कोई व्यक्ति चाहे तो संयुक्त परिवार से पृथक हो सकता है। इस विधि के अनुसार विवाह करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों में मतभेद हो सकता है। अतः उस की स्थिति पर्याप्त स्पष्ट कर दी गई है कि उस के कुछ घोषणा करने से पूर्व ही उसे संयुक्त परिवार से पृथक मान लिया जायेगा। यदि वह परिवार की संपत्ति का अंश न चाहे, तो चुप बैठ सकता है। यह आवश्यक नहीं कि विवाह के फलस्वरूप संपत्ति बांट ही दी जाये और उस के न चाहते हुए भी उसे उस का हिस्सा दे दिया जाये। यहां केवल यही

[श्री एच० जी० वैष्णव]

स्पष्ट किया गया है कि वह एक पृथक परिवार का सदस्य है । यह बड़ा अच्छा उपबन्ध है, अन्यथा बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने खंड २४ और २६ के बीच भारी गड़बड़ी बताई है, पर मुझे ऐसी बात नहीं लगती । खंड २६ में शून्य या शून्य करणीय विवाहों की संतानों को वैध ठहराने का उपबन्ध है, पर खंड २४ में बताया गया है कि यदि प्रतिवादी खंड (क) से (घ) तक की पूर्ति न करे या वह विवाह या दावा दायर करते समय अशक्त हो, तो विवाह शून्य घोषित कर दिया जायेगा । इस पर यह आक्षेप किया गया है कि एक अशक्त व्यक्ति बच्चे कैसे पैदा कर सकता है और खंड २६ अनावश्यक है । पर मेरा निवेदन है कि खंड २४ (१) में अन्य उपबन्ध भी हैं, अतः केवल इसी बात पर जोर देना ठीक नहीं है ।

अन्त में मुझे खंड २२ के उस अनावश्यक उपबन्ध का उल्लेख करना है, जिस में दीवानी न्यायालय द्वारा दांपतिक अधिकार के प्रतिस्थापन की व्यवस्था (डिक्री) देने की बात कही गई है । चूंकि इस व्यवस्था को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, अतः यह बेकार है । संभव है, पति के पक्ष में मिली व्यवस्था कार्यान्वित भी हो जाये, पर पत्नी के विषय में यह सर्वथा असंभव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्तमान विधि के अनुसार दोनों पक्ष दावा कर सकते हैं । व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार पत्नी भी दावा कर सकती है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : परन्तु यह असंभव है । मुझे ऐसा एक भी मामला सुनने को नहीं मिला, जिस में किसी स्त्री के लिये यह व्यवस्था दी गई हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : पर यह अधिकार स्त्रियों को मिला हुआ है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : इस के अलावा आज किसी भी पक्ष के लिये ऐसा उपबन्ध उचित नहीं है । यह प्राचीन काल का एक जीर्ण शीर्ण उपबन्ध है जब स्त्री को संपत्ति माना जाता था और कोई पुरुष अपनी संपत्ति का उपभोग करने के लिये न्यायालय से व्यवस्था प्राप्त कर सकता था । अब स्त्री को संपत्ति नहीं कहा जा सकता । अब दोनों समान हैं । अतः यह उपबन्ध अनावश्यक है और जब तलाक और पार्थक्य के अधिकार दिये जा रहे हैं, तो दांपतिक अधिकार के प्रतिस्थापन का उपबन्ध नहीं होना चाहिये ।

श्री महीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : विवाह तथा तलाक की प्रथा विश्व भर में इतिहास पर्यंत बदलती रही है, और भारत में भी बदलती रही है । गत सौ वर्षों में यूरोप में शिक्षा, आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक अधिकारों से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के साथ विवाह तथा तलाक पद्धति में भी तेजी से परिवर्तन हुए हैं । इन के प्रभाव का मूल्यांकन करना तो बड़ा कठिन है. किन्तु मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वह यह कि स्त्रियों को मिले राजनीतिक अधिकारों तथा उन की शैक्षनिक एवं सामाजिक उन्नति की वृद्धि के अतिरिक्त उन की आर्थिक स्थिति ने यूरोप और अमरीका में विवाह तथा तलाक के कानूनों में एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है । अमरीका में लगभग ३५ प्रतिशत विवाहित स्त्रियां अपनी जीविका अर्जन करती हैं और इस से समाज तथा कुटुम्ब में उन की स्थिति पर बहुत अन्तर पड़ता है । किन्तु भारत में स्थिति बिलकुल भिन्न है । यहां लगभग ८८ प्रतिशत स्त्रियां अपनी जीविका के लिये पति, पिता अथवा अन्य कमेता पर

निर्भर हैं। यह अत्यन्त आवश्यक बात है कि हमारे विवाह सम्बन्धी कानून स्त्रियों की आर्थिक दशा के संगत हों। अन्यथा, समाज में एक उथल पुथल और तनाव की स्थिति पैदा हो जायेगी जो अवांछनीय होगी। सहमति से तलाक वाले उपबन्ध पर विचार करते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। तलाक के सम्बन्ध में अमरीका और यूरोप के अत्यन्त प्रगतिशील देशों में भी सहमति से तलाक स्वीकृत नहीं किया गया है। पहले रूप में यह अनुमत था कि कोई भी पक्ष एक दूसरे से पृथक होने के लिये कचहरी में जा कर अपने पृथक्करण का पंजीयन करा सकता था। परन्तु वहां भी इस बात का उपबन्ध था कि यदि उन के बच्चे हैं तो, उन्हें उन की व्यवस्था का प्रबन्ध करना होगा, यदि पक्ष इस सम्बन्ध में सहमत नहीं होते थे, तो न्यायालय यह निर्दिष्ट करता था कि बच्चों के लिये किस प्रकार की व्यवस्था की जाये। किन्तु १९४४ से तलाक सम्बन्धी कानूनों को वहां बड़ा कठोर कर दिया गया जिस से कि तलाक की प्रक्रिया में होने वाला व्यय बहुत बढ़ गया। इस के अतिरिक्त तलाक-विरोधी शैक्षणिक आन्दोलन भी वहां वृहत्त रूप से जारी किया गया। इन परिवर्तनों का परिणाम सोवियत रूस में यह हुआ है, कि वहां तलाक पाना अमरीका से भी कठिन हो गया है।

हमारे विधेयक में सहमति से तलाक वाला जो उपबन्ध किया गया है वह वास्तव में बड़ा विचित्र है। इस में यह नहीं कहा गया है कि यदि उन के बच्चे होंगे तो उन बच्चों का तलाक के बाद क्या होगा। एक दूसरी बात यह है कि एक ओर तो हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि विवाहों में दहेज न चले और यह प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाये। किन्तु जब सहमति से तलाक का उपबन्ध किया जा रहा है तो होगा यह कि जिस पक्ष को सहमति देनी है वह यह सहमति देने के लिये रुपये की मांग करेगा। यह एक बहुत बड़ी बुराई होगी जिसे हमें समाज में नहीं घुसने देना चाहिये। मुझे आशा है विधेयक का कम से कम यह खंड हटा दिया जायेगा। मैं सहमति से तलाक के बिल्कुल विरुद्ध हूं।

कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। उदाहरण के लिये, भारतीय उत्तराधिकारी विधि उन सब लोगों पर अनिवार्य रूप से लागू समझा जायेगा जो कि अपने विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे अनिवार्य बनाने का क्या कारण है। इस का अर्थ केवल यह होगा कि जो लोग अपने विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करना चाहते हैं वे ऐसा करने में सकुचायेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि उन के पुत्रों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो। यदि इस विधेयक का ध्येय कि हमारे देश में एक विवाह की प्रणाली अपनाई जाये तो हमें उस विशिष्ट लक्ष्य तक सीमित रहना चाहिये। हमें एक से अधिक सुधार इस विधेयक में सम्मिलित कर के इसे भ्रामक नहीं बनाना चाहिये। विधेयक में तलाक तथा उत्तराधिकार दोनों सुधार साथ साथ रखने से इस में अड़चन पड़ेगी और यह अलोकप्रिय बन जायेगा। मेरा सुझाव है कि यह उपबन्ध किया जाये कि यदि एक ही धर्म के लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करें तो उन्हें यह घोषित करना चाहिये कि वे अपनी व्यक्तिगत उत्तराधिकार विधि पहिले करेंगे। यदि विभिन्न धर्मों के लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करें तो उन्हें यह घोषित करने का विकल्प हो कि वे कौन सी उत्तराधिकार विधि का पालन करेंगे। यह उपबन्ध इस में सम्मिलित कर लिया जाये, तो मुझे विश्वास है कि यह अधिनियम भारत में अत्यन्त लोकप्रिय अधिनियम बन जायेगा। यदि उत्तराधिकार विधि के विकल्प सम्बन्धी मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया जाये इस अधिनियम में आचारिक विधान का समावेश हो जायेगा। यदि हम इस

[श्री मुहीउद्दीन]

अधिनियम को एक विवाह का अधिनियम बनाना चाहते हैं, तो हमें इस में यह उपबन्ध सम्मिलित करना चाहिये कि यदि किसी सम्प्रदाय में चचेरे भाई बहिनों के बीच विवाह अनुमत है, तो यहां भी इसे अनुमत कर दिया जाए। विश्व में अन्य स्थानों में ही नहीं, भारत की एक बड़ी जनसंख्या के मध्य ईसाइयों, पारसियों, मुसलमानों आदि में--चचेरे भाई बहनों में विवाह अनुमत है, और मैं सुझाव दूंगा कि एक विवाह तथा तलाक के मामले में पूर्ण सुधार करने के लिये हमें आचारिक विधान के अनुसरण की अनुमति देनी चाहिये।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस से एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के होने के कारण, चाहते हुए भी परस्पर विवाह नहीं कर सकते।

उदरण के लिये, कोचीन में कुछ वर्ष पूर्व एक धार्मिक हलके के लोगों तथा वहां के प्राधिकारियों के मध्य झगड़ा हो गया। परिणाम यह हुआ कि किसी हलके वाले के लिये विवाह करना कठिन हो गया। तब वहां के लोगों ने सरकार के पास याचिका भेजी कि कई वर्ष से वे विवाह नहीं कर सके हैं। वे ईसाई ही रहना चाहते थे और साथ साथ यह भी चाहते थे कि गिरजे में उन का विवाहसम्पन्न हो। सरकार ने कोचीन अदालती विवाह अधिनियम पारित किया जिस के अनुसार कि कैथोलिक लोग बिना गिरजे में जाये हुए भी एक दूसरे से विवाह कर सकते थे। इस अधिनियम की आवश्यकता इस लिये पड़ी थी कि कुछ कैथोलिक मतावलम्बी लोग गिरजे में जा कर विवाह नहीं कर सकते थे। इसलिये इस विधेयक के पास हो जाने पर बिना गिरजे में की गयी शादियां भी वैध मानी जाने लगीं। परिणाम यह हुआ कि गिरजे में अधिकारियों ने उक्त अधिनियम पारित होने के बाद उन्हें गिरजे में आने की अनुमति दे दी।

विधेयक की एक दो बातों के बारे में मैं सहमत नहीं हो सकता। मैं एक कैथोलिक हूं और कैथोलिकों में तलाक की अनुमति नहीं है। यह सच है कि परिवारों में पति और पत्नी के मध्य झगड़े हो सकते हैं और उग्र रूप धारण कर सकते हों यहां तक कि उन का साथ साथ रहना कठिन हो सकता है। लेकिन जब लोगों को एक बार विवाह-विच्छेद की अनुमति दे दी जाती है, तो कठिनाइयां हज़ार गुनी अधिक हो जायेंगी। अमरीका इंगलैंड और रूस के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। अमरीका के प्रसिद्ध मासिक 'रीडर्स डाइजेस्ट' से मैं इस सम्बन्ध में एक उद्धरण देता हूं। उस में किसी ने लिखा था :

"हम बाल-पक्षाघात, नासूर तथा हृदय रोगों के लिये सामुदायिक सहायता की मांग करते हैं ? तलाक के विरुद्ध यह मांग क्यों नहीं की जाती ? निश्चय ही यह एक सामाजिक समस्या है।"

इस से पता चलता है कि तलाक वहां एक समस्या बन गई है।

जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हिन्दुओं में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के अतिरिक्त शेष वर्गों में, जो कुल जनसंख्या का ७५ प्रतिशत है, तलाक की कोई कठिनाई नहीं पड़ती। इस कानून के बिना भी तलाक वहां चलता है। इसलिये केवल ब्राह्मणों तथा दूसरे अन्य लोगों को जिन में तलाक प्रचलित नहीं है, कठिनाई होगी। किन्तु चीज़ यह है कि एक बार तलाक की अनुमति दे देने से यह चीज़ बहुत आम बन जायेगी। अमरीका में इस समय क्या स्थिति है ? वहां प्रति चार विवाहों में से एक भंग हो जाता है।

यदि यह सक्षम विधेयक होता, तब अधिक कठिनाई नहीं होती । लेकिन चूंकि यह अनुमतिक विधेयक है, इस से समाज का ढ़ांचा ही भंग हो जायेगा । मान लीजिये कि तलाक की अनुमति दे दी जाती है, तब हमारी क्या दशा होगी । मान लीजिये कि किसी लड़की को तलाक मिल जाता है, तो उस से विवाह करने वाला व्यक्ति स्वभावतः ही यह समझेगा कि वह अपने पति के लिये ठीक नहीं थी और इसी कारण तलाक की स्थिति पैदा हुई, और इसलिये वह उससे विवाह नहीं करेगा । मेरा मतलब यह है कि तलाक के परिणामस्वरूप हमारा सामाजिक ढ़ांचा भंग हो जायेगा । अमरीका तक में तलाक का यह प्रभाव पड़ रहा है कि इसे वहां बहुत बड़ी बुराई समझा जाने लगा है । उन्हों ने अब स्थान स्थान पर वर्ग बना लिये हैं जिन में कि एक डाक्टर, एक पादरी, एक वकील, एक समाज सेवक तथा कुछ अन्य लोग होते हैं । जब कोई दम्पत्ति पृथक होना चाहते हैं तो उन के पास पहुंच कर ये लोग यह देखते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आयी, उन्हें सुझाव देते हैं, समझाते हैं तथा परिस्थिति की विषमता के निदान का प्रयत्न करते हैं । इस में उन्हें बहुत सफलता मिली है ।

मेरा निवेदन यह है कि हमें इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं करना चाहिये जिस से हमें बाद में कोई कठिनाइयां न हों । हो सकता है कि किन्हीं परिवारों में पति-पत्नी विभिन्न कारणों से मेल से न रह सकें । किन्तु क्या इस का केवल यही एक हल है । हो सकता है कि भावना के आवेग में आ कर युवक या युवती कचहरी में जाकर तलाक की अर्जी दे दें । इसलिये मेरा सुझाव है कि पहिले हम पांच वर्ष तक एक विवाह सम्बन्धी विधि को देख लें कि यह किस प्रकार कार्य करती है ।

वास्तव में, उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि, तलाक सम्बन्धी विधि से पहले आनी चाहिये थी । यदि ऐसा हो जाता तो तलाक के लिये इतना दबाव नहीं होता । जैसा मैं ने बतलाया, ७५ प्रतिशत लोगों को तलाक का अधिकार मिला ही हुआ है । केवल २५ प्रतिशत अब इसे मांग रहे हैं । मैं उन की निराशा की कोई बात नहीं करता । किन्तु केवल स्वच्छन्द-प्रकृति लड़कियां ही तलाक चाहती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक में स्वच्छन्द स्त्रियों की कोई परिभाषा दी है ?

श्री सी० आर० अय्युण्णि : मैं उन स्त्रियों को जो स्वच्छन्द स्त्रियों के रूप में अप्रतिबन्धत सामाजिक संसर्ग चाहती हैं, स्वच्छन्द स्त्रियां कहूंगा ।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह विवाह-विच्छेद एक बड़ा ही गम्भीर विषय है तथा इस पर पर्याप्त रूप में विचार होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से मामलों, जहां एक ओर पूर्ण असहमति हो तथा दूसरी ओर समाज की एकता तथा दृढ़ता को बनाये रखने की आवश्यकता हो, आप किस को प्राथमिकता देंगे ?

श्री नम्बियार (मयूरम) : यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य विवाह-विच्छेद का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस पर विचार तथा निश्चय करने के लिये पर्याप्त समय है । परन्तु इसी समय विवाह-विच्छेद की कहां आवश्यकता है ?

श्री टंडन (इलाहबाद जिला पश्चिम) : इसी समय, यह नहीं होना चाहिये ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि: मेरे कहने का अर्थ ठीक यही है ।

अब मैं, निकट में होने वाले विवाह की सूचना के प्रकाशन के विषय में कुछ

[श्री सी० आर० अय्युण्णि]

कहना चाहता हूं यदि कोई अध्यादेश प्रकाशित हो जाता है तथा उस की एक प्रति विवाह पदाधिकारियों के कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर लगा दी जाती है, तो यह पर्याप्त है। इस दृष्टि से कि व्यक्तियों को, विशेषकर विवाह में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को, विवाह के विषय में जानकारी हो जाये, सूचना आवश्यक है, तो मैं यह कहूंगा कि यह समाचार पत्र में प्रकाशित होनी चाहिये। यह ऐसे समाचार पत्र में अवश्य प्रकाशित होना चाहिये जो उस स्थान में पढ़ा जाता हो। जहां विवाह होने वाला हो, तथा उन स्थानों में भी पढ़ा जाता हो जहां के विवाह करने वाले हों, या जहां वे स्थायी रूप से रह रहे हैं। अन्यथा विवाह-पदाधिकारी के कार्यालय में सूचना की प्रति सहजगोचर स्थान पर लगाने का कोई लाभ नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सामूहिक चुनावों के समय जब हम लोग कांस्टीट्यूएंसियों में घूम रहे थे तो हिन्दू कोड बिल का जिक्र बराबर आया करता था और हमारी कांस्टीट्यूएंसी के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस सम्बन्ध में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सौभाग्य यह था कि जनरल चुनाव से पहले हिन्दू कोड बिल पहले सदन से वापस ले लिया गया था नहीं तो कितने ही लोग इसके शिकार हो जाते यानि इसके कारण हार जाते। पहले सदन में कुछ सदस्य लोग जो बहुत फारवर्ड थे और जिन लोगों ने हिन्दू कोड बिल का बहुत समर्थन किया था वे सदस्य और सदस्यायें इसी बिना पर हार भी गये।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया): बदल गये।

पंडित डी० एन० तिवारी : लेकिन मैं कि हिन्दू समाज के सुधार का कानून या हिन्दू समाज में स्त्री पुरुष का आपस का व्यवहार कैसा हो इसका कानून टुकड़े टुकड़े करके नहीं आना चाहिए था, एक साथ आना चाहिए था। ताकि सारा नक्शा हमारे सामने होता और हमको मालूम होता कि हमको क्या करना है। आज एक बिल सामने आता है तो एक बात सामने आती है, कल दूसरा बिल सामने आयेगा तो दूसरी बात सामने आयेगी। इससे लोगों में गड़बड़ी पैदा होती है और संसद् का समय भी बहुत अधिक खर्च होता है। अगर एक साथ होता तो जितनी बातें थीं वह एक साथ कह दी जातीं और उसमें समय कम लगता।

हिन्दू कोड बिल से और स्पेशल मैरिज बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दू कोड बिल या हिन्दू मैरिज एंड डाइवोर्स बिल दूसरी चीज़ है जो कि हिन्दू समाज के संगठन से सम्बन्ध रखती है। यह तो स्पेशल मैरिज बिल है। यह न केवल हमारे हिन्दू समाज से सम्बन्ध रखता है बल्कि यह सारे देश के ऐसे लोगों के शादी विवाह से सम्बन्ध रखता है जिनको एक रोग हो गया है। वह प्रेम का रोग है।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : ईश्वर भी उससे नहीं बचा।

पंडित डी० एन० तिवारी : उस रोग को कैसे ठीक किया जाय। जो उसके शिकार हो गये हैं उनका सम्बन्ध कैसे ठीक किया जाय इसीलिए यह बिल आया है। तो मैं नहीं समझता कि इस बिल पर इतना ज्यादा बात कहने की जरूरत है। मैं यह भी नहीं चाहता कि यह स्पेशल मैरिज बिल हिन्दू कोड बिल के साथ जोड़ा जाय। वह एक बहुत पवित्र चीज है। हमारी परम्परायें आदि काल से चली आ रही हैं। हमारे समाज में हर मौके के लिए ठीक कानून है और हर तरह की स्थिति के लिये गुंजाइश है। उसमें नाजायज़

सन्तान नहीं होती है। क्योंकि गन्धर्व विवाह को भी एक प्रकार का विवाह समझा जाता है। बिला वजह इन दोनों को मिला दिया जाता है। मैं समझता हूं कि वह एक अलग चीज है और यह एक अलग चीज है। अब हमें देखना है कि जो लोग बहुत फारवर्ड हैं और हम लोगों को रिएक्शनरी कहते हैं उन लोगों का सम्बन्ध कैसे हो।

हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग अधिक नहीं है, शायद दो, चार हज़ार स्त्री और पुरुष ऐसे होगें जिनके लिये कि यह बिल लागू हो सकता है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी लेकिन चाहे कितने ही कम क्यों न हों हम नहीं चाहते कि हमारे देश में एक भी नाजायज़ संतान समझी जाय, उसको कानून से नाजायज़ करार दिया जाय और वह नाजायज़ न रहे लेकिन जब हमारे यहां स्पेशल मैरेज बिल में ऐसे २ बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम समझ नहीं सके कि उनका क्या अर्थ है, जब हम यह स्पेशल मैरेज बिल बनाने जा रहे हैं तो उसका कारण भी स्पेशल होना चाहिए।

अब इसमें क्लाज़ ४ में जो लिखा है कि ऐसे लोगों की शादी नहीं हो सकती कि जो 'Idiot' है। Neither party is an idiot. अब हम अक्सर देखते हैं कि अधिक बुद्धिमान् लोग अपने से कम अक्ल वालों को ईडियट् कह दिया करते हैं, तो इसके मुताबिक अब उनकी शादी न हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। ईडियट एक कम्पेरेटिव चीज़ है। आपके सामने मैं बेवकूफ हो सकता हूं और कोई एक दूसरा आदमी मेरे सामने बेवकूफ हो सकता है।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : सब रिऐक्शनरीज़ बेवकूफ समझे जाते है।

पंडित डी० एन० तिवारी : अब ऐसे लोगों की शादी न हो यह कुछ समझ में नहीं आता। अगर अनसाउन्ड माइंड के लिये कहा जाय कि उसकी शादी न हो सके, तो हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है जो अनसांऊड माइंड का हो और पागल हो उसकी शादी न हो, लेकिन अगर कोई बेवकुफ हो या बद्धू सा हो तो उसकी शादी न हो तो मैं आपसे पूछूं कि फिर सिपाही का कौन काम करेगा और सेना में कौन जायगा, यह देखना होगा। देश में बहुत तरह २ के काम और व्यवसाय हैं उनमें सब लोग होशियार हो जायं तो संसार नहीं चल सकता है।

दूसरी बात जो इसमें यह दिया गया है कि "The parties have completed the age of 21 years" ["दोनों पक्ष पूरे २१ वर्ष के हो चुके हैं"] में समझता हूं कि इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि यह प्रेम का रोग उन लोगों को होता है जो २१ वर्ष के नीचे होते हैं और अगर २१ वर्ष से नीचे यह बात हो तो मैं उसको प्रेम न समझ कर केवल एक आवेश की बात समझता हूं। २१ वर्ष से नीचे आयु वालों को यह समझने की बुद्धि नहीं होती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या नहीं। आप कहते हैं कि पुरुषों के वास्ते २१ वर्ष हो और स्त्रियों के लिये १८ वर्ष, तो यह १८ वर्ष क्यों उनके लिये रखी जाय। हमने इस सदन में बराबर इस चीज़ को देखा कि मैरेज की एज को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई और यदि आप यह स्पेशल मैरेज का अधिकार देने जा रहे हैं तो, जैसा कि पहले से सिविल मैरेज ऐक्ट में भी २१ वर्ष है तो मैं नहीं समझता कि यह ऐज लिमिट २१ से नीचे घटा कर क्यों रक्खी जाय, २१ बर्ष के नीचे तो माइनर माना जाता है और उसको आप कोई जायदाद का हक भी नहीं देते न ही उसको वोट का अधिकार होता है तो मैं नहीं समझता कि उसको शादी क्यों करने दी जाय अपने मन से, उसके लिये गार्जियन की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। १८ और १९ वर्ष आप रख सकते हैं लेकिन उसमें यह

[पंडित डी० एन० तिवारी]

लगा दीजिये कि गार्जियंस की कंसेंट हो, गार्जियंस की कैटेगेरी में फादर, मदर और उसका भाई ट्रीट किये जायेगें क्योंकि अगर गार्जियन के टर्म को हम खुला अनरिसट्रिक्टेड छोड़ देगें तो उसमें कहीं २ ज़ुल्म हो जाया करता है।

तीसरे इसमें जो यह दिया हुआ है कि "The parties are not within the degrees of prohibited relationship." ["पक्ष वर्जित सम्बन्ध वाले नहीं हैं"] हमारे हिन्दू शास्त्र के मुताबिक जो शादी मान्य नहीं है जो शादी धर्म के अनकूल नहीं है उसको प्राहिब्टेड रिलेशनशिप कहा है और उसमें आपने बहुत से सम्बन्ध दे दिये है जिनमें शादी नहीं होनी चाहिये। मैं आपको बतलाऊं कि हमारे दक्षिण भारत में रिवाज़ है वहां लोग अपनी बहिन की लड़की से शादी कर लेते हैं तो इस कानून के मताबिक वह भी विवाह प्राहिब्टेड ऐरिया में आ जायगा। केवल भाई बहिन के बीच में अपने खून के सम्बन्धी को छोड़ कर शादी हो जाय, उसमें उसकी परमिशन मिलनी चाहिये।

इसके अलावा और भी कई बातें हैं। डाइवोर्स किन २ हालतों में जायज़ समझा जायगा उसे पढ़ कर तो मुझे एक हंसी सी आती है। पहले तो सिफलिस, गिनोरिया आदि इन-क्यूरेबूल डिज़ीज़ेज़ मानी जाती थीं, लेकिन साइंस ने प्राणी मात्र को उनसे भी छुटकारा दिला दिया है। दो आदमियों की शादी हो जाय और किसी को अगर बीमारी हो जाय तो आप उसको डाइवोर्स कर दीजिये लेकिन मैं आपको उस खतरे की तरफ ध्यान दिलाऊं जिसके लिये हमने कोई प्राविज़न नहीं किया है। कहीं डाइवोर्स अगर एडवांस्ड ऐज में हुआ तो जो लोग डाइवोर्स के बहुत पक्ष में हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब ऐज के साथ उनका आकर्षण चला जायगा तब उनका क्या होगा और तब उन को कौन पूछने वाला है, खास कर ऐसे लोगों के जिन के बाल बच्चे नहीं है उनकी क्या गति होगी और यदि बाल बच्चे नाबालिग हुए तो उनको पालने वाला कौन होगा इन सब बातों का विचार बिना डाइवोर्स के लिये इतनी आसान कर देना मैं नहीं समझ पाया। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हम दूसरे कानून से गवर्न होंगे। इसमें हमें देखना है कि कोई ऐसी बात न आ जाय, इस बिल में हम उन सारी बातों को लाना भी नहीं चाहते लेकिन यह हमारे जो दो, चार हज़ार आदमी, स्त्री और पुरुष देश में हैं क्योंकि हिन्दू समाज में करीब ७०, ७५ फी सदी सैकड़ा ऐसे लोग हैं जिन्हें न स्पेशल मैरेज बिल की जरूरत है और न डाइवोर्स बिल की जरूरत है, उनके यहां पहले से इतनी लिबरैलिटी मौजूद है कि अगर दोनों का मन नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। यह बिल अथवा कानून तो केवल उन लोगों पर अपना असर डालेगा जो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, या अपने को हाईकास्ट समझते हैं और जिनमें पहले डाइवोर्स नहीं था, पुनर्विवाह नहीं था, और विधवा विवाह नहीं था, उन्हीं के खिलाफ यह बिल है। और भी जो सुधार के कुछ बिल आये हैं या आ रहे हैं वह भी उन्हीं के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों की संख्या २० या २५ परसेन्ट से अधिक नहीं होगी या शायद इससे कम ही होगी। यदि आप उन लोगों के खिलाफ बिल बनाना चाहते हैं या उन लोगों के कस्टम्ज़ रिवाज और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बनाना चाहते हैं तो मैं यह ज़रूर कहूंगा कि कम से कम उन लोगों से भी आपको राय लेनी चाहिये जिस समाज में कि आप इसको चाल करना चाहते हैं।

मैं जो हिन्दू मैरेज और डाइवोर्स बिल है उसका तो विरोध करता हूं, लेकिन मैं इस

बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि वह जो चीज़ है . . . . . .

एक माननीय सदस्य : आप विरोध करते हैं या समर्थन ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं इस स्पेशल मैरेज बिल का समर्थन करता हूं। आप यदि उन लोगों से राय लीजिये जिनके समाज में आप को इससे काम लेना है तो मैं समझता हूं कि १५ या २० परसेन्ट से ज्यादा वोट आपको नहीं मिलेंगे। यदि आप जीत सकते हैं तो उन्हीं लोगों की वोटों से जीतेंगे जिनकी संख्या ७५ फी सदी है और जिनके समाज में यह चीज़ चालू है। अगर यह कहीं चालू नहीं है तो वह हिन्दू समाज में नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (गया पश्चिम): हिन्दू धर्म ग्रन्थों में ऐसा नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : आपको धर्म ग्रन्थों की बात नहीं मालूम, उसका अधिकार हम लोगों को है। आप हमसे पूछिये। तो मैं इस बिल का विरोध नहीं करता। जो दो चार हज़ार लोग देश में हैं उन के फायदे के लिये हमें इसको पास कर देना चाहिये।

श्री पी० आर० राव (वारंगला): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप ने जो मौका मुझे दिया उस के लिये मै आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

मैं इस बिल के लिये खुशामदीद कहता हूं इस लिये कि यह अधिकांश महिलाओं को, खास कर नौजवानों को एक वसीह मौका देता है कि विवाह के सम्बन्ध में जो कायदे हैं, हिन्दू सिस्टम में जिस तरह की पाबन्दियां हैं, उन पाबन्दियों को हटाने वाला है।

साथ ही साथ इस में चन्द नुकायस भी हैं जिन को प्वाईंट आउट करने के लिये मैं भाषण कर रहा हूं, खास कर हमारे इस भारत देश में और जमीदारी समाज में, मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, वह एक तरह से गुलामी की ही ज़िन्दगी गुज़ार रही हैं। मैं ने सूना है, बाज लेडी मेम्बर्स ने इस बात पर नाराज़गी का इज़हार किया है, हो सकता है कि वह अपने आप को ज़रा कमतरीन समझना पसन्द न करती हों, लेकिन यह एक सच बात है कि आज हालात ऐसे हैं कि मर्द स समाज में अपना अधिकार जमाकर बैठा है और औरतों को किसी तरह का हक देने के लिये तैयार नहीं रहता है, यानी वह जब चाहे अपनी औरत को छोड़ सकता है, उस को मार सकता है, पीट सकता है और उस को घर से बाहर निकाल सकता है। लेकिन औरतों को कोई हक नहीं है कि वह अपने हक को साबित करने के लिये कुछ कर सकें आज औरत को मर्द दस, बीस रुपये दे कर घर से बाहर निकाल कर बेदखल कर सकता है। यह जब हम सूनते हैं और जिस को हम रोज़ाना अपनी ज़िन्दगी में देख रहे हैं, बहुत दुःखदायी मालूम होता है। इस हालत को देखते हुए इस बिल के अन्दर, इस स्पेशल मैरेज ऐक्ट के तहत में औरत को भी बराबर का अधिकार जायदाद में दिया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस लिये मैं इस बिल को खुशामदीद कहता हूं।

साथ ही साथ इस बिल में ऐसे नुकायस भी हैं जिन को कि अगर हम दूर नहीं करते तो वह बिल कामयाब नहीं हो सकता है। इस में यह है कि २१ साल की कैद रक्खी गई है। यह बहुत नाजायज़ चीज़ है और खास कर औरतों के लिये तो यह और भी बेमुल्य और नाइंसाफी है। इस लिये कि में देखता हूं, खास कर जुनूबी हिन्दुस्तान में, कि लड़कियां १३, १४ साल की उम्र में शादी के लायक हो जाती हैं। इस बिल के मुताबिक उन को ७ साल तक यानी २१ साल की उम्र तक पहुंचने तक शादी के लिये इन्तज़ार करना पड़ेगा हालांकि वह हमारे कान्स्टिटयूशन के लिहाज़ से १८ साल की ही उम्र में मैचौरिटी

[श्री पी० आर० राव]

को पहुंच जाती हैं। इस लिहाज से इस बिल में १८ साल की कैद रखना भी एक हद तक इंसाफ की बात हो सकती थी, लेकिन २१ साल की जो उम्र रक्खी गई है वह नाइंसाफी है। हम को यह जानना चाहिये कि मर्द के मुकाबले में औरत बहुत जल्दी बड़ी होती है क्योंकि वह १३, १४ साल की उम्र में बालिगीया को पहंच जाती है जब कि मर्द १८ साल की उम्र तक भी बालिगीयत को नहीं पहुंचता। इस लिये जो २१ साल की कैद है इस को कम करना चाहिये और १८ साल की मियाद रखना चाहिये।

हम को यह भी सोचना चाहिये कि हमारे देश में नौजवान लड़के और लड़कियां तालीम पाने के लिये, अपनी ज़िन्दगी को खुशगवार बनाने के लिये, पढ़ लिख कर तरक्की करने कि इच्छा करें तो उन के रास्ते में भी यह रुकावट पैदा करता है, यह बात में अपने समाज में देखता हूं कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वह शादी करना बन्द कर देगा। हमारे समाज में गरीबी ने इस तरीके से अपना कदम जमा कर रक्खा है कि ८० फी सदी कुनबे जो हैं वह अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते हैं और घरेलु काम करवाते रहते हैं। उन लोगों के लिये जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और भी बहुत से काम रहते हैं, महज शादी के लिये ७ साल के लिये यानी २१ साल की उम्र तक इन्तज़ार करते रहना, खाली घर में लड़की को बैठा रखना कोई पसन्द नहीं करता।

श्री पी० आर राव: दूसरा प्वाइंट यह है कि मामू और फूफी के सम्बन्ध में शादियां नहीं होनी चाहियें। प्राहिबिटेड लिस्ट के तहत यह स्पैशल मैरिज ऐक्ट उनको यह फायदा नहीं दे सकता है। मामू और फूफी के सम्बन्ध में शादी करने के लिये उनको पहले जाकर आपस में शादी कर लेना चाहिये और उसमें जो कुछ लेन देन करना हो वह कर ले उसके बाद वह शादी रजिस्टर कराई जा सकती है। वह शादी हिन्दू रिवाज और कस्टम के मुताबिक़ होगी। इसका मतलब यह है कि जो समाज की तमाम रिवाजें हैं वह होती ही रहनी चाहियें। स्पेशल मैरिज ऐक्ट से उन लोगों को फायदा नहीं पहुंच सकता है क्योंकि ऐसे लोगों का हिन्दू ला भी है। इसमें रुकावट पैदा होंगी। यह कहने से कि हिन्दू रिवाज के मुताबिक़ तुम शादी कर लो और बाद में रजिस्ट्री करा लो तो क्या फायदा हुआ। समाज की रिवाज के मुताबिक़ शादी करने में बहुत खर्चा होता है अगर कोई हिन्दू दस पांच रुपये में अपना विवाह करना चाहे तो वह इस क़ानून के अन्दर नहीं कर सकता। उसको पहले रिवाज के मुताबिक़ शादी करनी होगी। बाद को वह रजिस्ट्री करा सकता है। यह बेमानी बात है।

डाइवोर्स होने के बाद एक साल तक दोनों पार्टीज़ अलग अलग रहें और अगर एक साल बाद भी उनका यही ख्याल रहे कि हम साथ साथ नहीं रह सकते तो वह दोनों मिल कर यह कहें कि हम अपनी ज़िन्दगी साथ साथ नहीं गुज़ार सकते तो उस वक्त इसमें तलाक़ देने का मौक़ा होना चाहिये। लेकिन इस ऐक्ट में जो सेक्शन २७ के० ८ जो लफ्ज़ "आर" लिखा है उसकी जगह अगर लफ्ज़ "ऐंड" रखा जाय तो जो मैं ने कहा है वह हो सकता है। बहुत से मेम्बरों के दिमाग में यह बात है कि हो सकता है कि आज शादी हो और कल ही वह डाइवोर्स कर दे तो यह ठीक नहीं है। मैं भी समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर लफ्ज़ "आर" की जगह लफ्ज़ "ऐंड" रख दिया जाय तो यह हो सकता है कि एक साल अलग अलग रहने के बाद अगर वह मुत्तफिक़ राय से यह कहें कि हम आयन्दा साथ साथ नहीं रह सकते और हमको तलाक़ होना

चाहिये तो उसको मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये । इसमें मैं यह छोटी सी तरमीम करना चाहता हूं ।

डाइवोर्स के बाद जहां नान नफका का सवाल है वहां इसमें लिखा है कि "हैज़ रिमैरिड आर इज़ नाट लीडिंग ए बैस्ट लाइफ" । इसका जैसे चाहे मतलब निकाला जा सकता है । और मैं समझता हूं कि इसमें कुछ हद तक नाइंसाफी होगी । मैं यह नहीं चाहता कि चाहे औरत कैसी भी ज़िन्दगी गुज़ारे उसको ज़रूर नान नफका दिया जाय । यह मैं नहीं चाहता । बल्कि मैं यह चाहता हूं कि जो लिखा है उसके बजाय यह कर दिया जाय कि अगर दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, या दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखती है और बुरी ज़िन्दगी गुज़ारती है । ऐसी हालत में कोई भी मर्द नान नफका देना पसन्द नहीं करेगा । तो मैं चाहता हूं कि चैस्ट लाइफ के बजाय प्रास्टीट्यूट या कानकुबाइन ऐसे अल्फाज़ दर्ज कर दिये जायं तो ठीक होगा । मैं दरखास्त करता हूं कि इस तरमीम को मंजूर कर लिया जाय । मुझे सिर्फ इतना ही कहना है ।

११ म० पू०

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): श्रीमान्, उस दिन आपने कहा था कि आप एक विवाह के पक्ष में हैं । यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि एक महान दार्शनिक व इतिहासकार ने एक दिन कहा था कि अद्वैतवाद धर्मोन्मत्त बनाता है तथा एक विवाह व्यभिचारी बनाता है । यह ईर्ष्या उत्पन्न करता है, यह स्त्रियों में अधिपति की भावना उत्पन्न करता है ।

यदि हम विवाह के प्रश्न पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करे तो हमें विवाह के झंझटों को अवश्य सुलझाना चाहिये । सर्व प्रथम यह एक सामाजिक व्यवस्था है । यह एक अल्प-व्ययियक प्रबन्ध है । कदाचित मैं यह भी कह सकता हूं कि यह एक राजनीतिक प्रश्न भी है । क्योंकि इसके द्वारा भावी नागरिक उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न नहीं होते हैं । इसके अतिरिक्त, विवाह एक व्यक्तिगत, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक प्रश्न तथा शारीरिक योग भी है । यदि आप विवाह की सफलता चाहते हैं तो आपको विवाह के इन सब पहलुओं पर विचार करना होगा । यह विषय इतना उलझा हुआ है कि जो भी प्रयोग किये गये हैं विशेषकर पश्चिम में आधुनिक काल में उनसे विवाह सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ है । अपितु मैं कह सकता हूं कि उनकी अपेक्षा हमारे विवाह सम्बन्ध कहीं अच्छे हैं । हम सब जानते हैं कि भारत में हम अधिकतर पत्नीभक्त पति होते हैं । इसका श्रेय मेरी बहिनों को है । क्योंकि वे हमारी इतना सेवा करती हैं कि हम असहाय हो जाते हैं, तथा जो व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करता वह पशु ही होगा । वैवाहिक जीवन को सुखी व शान्ति होने में इसका कोई महत्व नहीं है कि विवाह किस पद्धति से हुआ है, अपितु महत्व तो उस स्त्री व पुरुष का है जो विवाह-सूत्र में बंधते हैं । यदि वे एक दूसरे से सन्तुष्ट रहते हैं तो इसका भी कोई महत्व नहीं है कि वे विवाहित हैं या नहीं ।

इसका क्या कारण है कि विवाह विधेयक प्रायः प्रस्तुत होता है । यह एक प्रकार के सनकी विचारों के कारण होता है । उसमें से एक, जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने कहा था, एक रूपता की सनक है । भारत में, जहां किसी बात में एकरूपता नहीं है, विवाह-विधियों में एकरूपता क्यों होनी चाहिये ? एकरूपता, न तो हमारी वेष-भूषा में है और न ही खाने में । हमारी सारी बातों में विभिन्नता है तथा अनेकों व्यक्तियों

[आचार्य कृपलानी]

ने, जिनमें हमारे प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हैं, विभिन्नता का समर्थन किया है । इस विभिन्नता से हमारी सभ्यता में चार चांद लगते हैं । प्राचीन काल में विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुकूल तथा विधान निर्माताओं की इस इच्छा पूर्ति के लिये कि कोई अनौरस शिशु न हो, आठ प्रकार के विवाह होते थे । मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि हमारी सारी बातों में विभिन्नता है तो विवाह के मामले में एक रूपता क्यों होनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि एक और बात है जो कि विवाह में सुधार करने के इन सब प्रयासों का आधार है और यह बात मेरी बहिनों की ओर से होती है । उन्हें समानता का एक विचार है । वह समझती है कि समानता का अर्थ वह सब करना है जो पुरुष करता है । मेरा विचार है कि स्त्रियां अपने व्यवहार तथा वार्तालाप में अधिक कुशल होती हैं । होना तो यह चाहिये कि हम, पुरुष, उनसे कुछ कुशलता व सुशीलता सीखें । परन्तु वे समझती हैं कि वे हमारे समान उसी स्थिति में होंगी जब कि उनमें पुरुषों की भांति सुशीलता तथा कुशलता का अभाव होगा । यह उच्चता की ओर अग्रसर होना नहीं नीचे गिरना हैं । पुरुषों का यह प्रयत्न होना चाहिये कि पुरुषों के चरित्र को ऊंचा उठाया जाये, परन्तु कुछ स्त्रियों का विचार है पुरुषों की समानता करने के लिये अपने स्तर को गिराना उत्तम है । मैं अपनी बहिनों को परामर्श देता हूं कि वे समानता का अधिक वैज्ञानिक अर्थ ग्रहण करें । समानता का अर्थ यह है कि यदि कोई उत्तम व्यक्ति है तो हम उस पुरुष या स्त्री के समान बनने का प्रयत्न करते हैं । समानता का अर्थ अपने को गिराना नहीं है ।

इस विधेयक विशेष को बहुत ही वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इसका पहिले की रीतियों व पद्धतियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विधेयक के अन्तर्गत विवाह माता पिता द्वारा निश्चित नहीं होता है । कदाचित ऐसा विवाह प्रेम-विवाह ही हो सकता है । मेरी समझ में नहीं आता कि प्रत्येक पुरुष व स्त्री को अपनी प्रेमिका व प्रेमी से कैसे विवाह हो सकता है मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि केवल प्रेम के लिये विवाह कैसे किया जा सकता है । यह सब बकवास है ।

इस विधेयक के उपबन्ध प्रेम के विचार पर आधारित हैं । २१ वर्ष की आयु में प्रेम के वास्तविक मर्म को नहीं समझा जा सकता । २१ वर्ष की अवस्था का प्रेम बेहूदा प्रेम कहलाता है । अतः यह विवाह का कोई आधार नहीं है, तथा यह विवाह-विच्छेद का एक निश्चित आधार है । इसी कारण विधि मंत्री ने विवाह-विच्छेद का उपबन्ध रखा है ।

सर्व प्रथम आप कहते हैं कि विवाह-विच्छेद की अनुमति, पागलपन के कारण ही दी जायेगी । यदि सदन में कोई भी व्यक्ति प्रेम के विषय में जानता है तो, श्रीमान्, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि प्रेम-विवाह स्वयं ही एक प्रकार का अस्थायी पागलपन है । कहा जाता है कि प्रेम अन्धा होता है । कदाचित आप यह जानते हैं कि उक्त प्रेमियों को सदैव ही पागल की संज्ञा दी गई है । उनके जीवन सदैव ही गखमय रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति पागलपन की स्थिति में विवाह करता है तो आप उसके लिये विवाह-विच्छेद का उपबन्ध बनाते हैं । परन्तु क्या मैं विधि मंत्री से पूछ सकता हूं कि आप उस स्थिति में विवाह की अनुमति ही क्यों देते हैं ? वास्तविक प्रेम में विवाह की अनमति ही नहीं होनी चाहिये ।

विवाह विच्छेद के लिये एक और उपबन्ध है जिसे व्यभिचार की संज्ञा दी गई है। यदि आप व्यभिचार के आधार पर विवाह-विच्छेद का उपबन्ध करते हैं, आप जानते हैं कि इसका सन्निहित भाव क्या है ? हो सकता है कि किसी से परिस्थितियों के कारण कोई भूल हो जाये, परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि मैं या और कोई अपनी पत्नी को कम प्यार करते हैं। अनजाने में किसी व्यक्ति से भूल हो जाने पर वह, विवाह-विच्छेद का आधार नहीं होना चाहिये। तब, विवाह-विच्छेद का आधार क्या हो सकता है ? अभ्यस्त अस्वामिभक्ति विवाह-विच्छेद का आधार होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कि अभ्यस्त अस्वामिभक्ति का निश्चय कोई न्यायाधीश या दण्डाधीश नहीं होना चाहिये अपितु इसका निश्चय करने के लिये न्यायाधीश, विवाह-विच्छेद के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर उस सम्प्रदाय के तीन या चार व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनकी आयु पचास वर्ष से अधिक होगी, तथा वे मामले की जाँच करेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप विवाह-विच्छेद का उपबन्ध रख रहे हैं, तो कृपया इसका निश्चय न्यायालयों पर न छोड़िये।

जहां तक पारस्परिक अनुमति का सम्बन्ध है, भारत में पत्नियों से अनुमति प्राप्त करना सब से अधिक सरल है। हमने उनकी आर्थिक समानता का कोई उपबन्ध नहीं किया है। स्त्रियों को पुरुषों की भांति शिक्षा सुविधायें प्रदान करने तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार के काम में भाग लेने का अधिकार प्रदान करने के पश्चात्, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन हो सकें, आप को विवाह-विच्छेद का उपबन्ध करना चाहिये।

एक बात यह है कि बालकों के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : औरस बालकों के लिये उपबन्ध है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बोलने का मेरा कोई विचार नहीं था। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के सबसे मुख्य नेता के मुंह से जब मैंने इस बिल के बारे में कुछ बातें सुनीं तो मुझ से बिना बोले नहीं रहा गया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैं तो यही समझी थी कि उन्होंने एक फिलासफर को कोट किया है जिस के बारे में वह यही कहेंगे कि उसने कहा है कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को एबालिश कर दिया जाय। मुझे उनके रव्यालात सुनकर हैरानी हो रही थी कि उनके रव्यालात इतने रिवोल्युशनरी कैसे हो सकते थे। पर बाद में जब वह आगे बढ़े तो मुझे मालूम हुआ कि वह आगे बढ़ने के बजाय, ऊपर चढ़ने के बजाय, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं वह आये थे समाज में कुछ क्रान्ति करने के लिए लेकिन जब वह बीच में आये तो जो रास्ता खुला था उसमें भी ताला लगाने को तैयार हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ऐतराज़ है कि ऐसे प्रमुख नेता के मुंह से हम ऐसी बातें सुनें कि औरतें आजकल बराबरी का दावा इसलिए करती हैं कि वे डिसेंसी से नीचे उतरना चाहती हैं और माडेस्टी से नीचे उतरना चाहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समाज के पुरुषों का ऐसा विश्वास हो जाता कि उस समाज की औरतें माडेस्टी का कत्लेआम करना चाहती हैं और डिसेंसी से नीचे उतरना चाहती हैं उस समाज की नींव कायम रहेगी इसके बारे में मुझे शक है। एक जमाना था जब कि हिन्दुस्तान में पुरुषों का स्त्रियों पर और स्त्रियों का पुरुषों पर पूरा विश्वास था और समाज की नींव इसी पर कायम थी। हमने जो अपनी संस्कृति की नींव रखी थी वह इसी विश्वास पर कायम थी। पहले पहले जब पुरुष और स्त्री अस्तित्व में आये तो उनमें कोई आपसी सम्बन्ध नहीं था। उनका विकास होने

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

पर उनमें एक प्रकार का सम्बन्ध हुआ जिसे आप बायलाजीकल या शारीरिक या मानसिक सम्बन्ध कह सकते हैं। युग दैविक सम्बन्ध कह सकते हैं। इस शारीरिक सम्बन्ध को हम छोटा इसलिए समझने लगे हैं कि आज समाज में इतनी गन्दगी पैदा हो गयी है कि इस दैविक विकास को हम नीचे स्तर पर ले आये हैं और हम शादी विवाह के मामले को ऊंचे उठकर नहीं देखते। वरना हम तो उस समाज के वंशज हैं कि जिसमें यह विश्वास किया जाता था कि यह जो शारीरिक सम्बन्ध है यह न केवल शारीरिक ही है बल्कि इसका सम्बन्ध, परमेश्वर की सृष्टि के साथ है और उसी सम्बन्ध को कायम रखने के लिए यह समाज बना और यह नियम बने। और उसी सम्बन्ध को कायम रखता हुआ आज से नहीं युगों से स्त्री और पुरुष समाज चला आ रहा है। परन्तु पहले जमाने में पुरुषों का स्त्रियों पर विश्वास था। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं। इसके बारे में आप काफी अच्छा अनुभव रखते हैं और इस के बारे में आपने काफी अध्ययन किया है कि पुरुषों और स्त्रियों को पुराने जमाने में इतनी आजादी थी कि आज के जमाने में समाज इतनी आजादी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। पुराने समय में भी कभी स्त्री समाज ने उस चीज़ को इतना छिछला बनाने की या हलका बनाने की चेष्ठा नहीं की कि समाज के मुंह पर मनुष्यता के मुंह पर कालिख पोतें। पहले स्त्री को मौका था कि वह स्वयंबर करती थी। चालीस या पचास पुरुष इकटठे होते और स्त्री से कहा जाता था कि वह स्वयं अपने लिए पति चुने। वह स्वयं पवित्र तरीके से अपने लिए पति चुनती थी। आज के समाज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पचास पुरुषों को सामने करदे और स्त्री से कहे कि वह अपने लिए उनमें से पति वरण कर ले। आज समाज की इतनी हिम्मत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि यह हिम्मत समाज में आवे क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ गया है।

दूसरे पुराने जमाने में हमारे यहां और भी एक प्रथा थी। महाभारत और रामायण के पढ़ने वालों को यह बात मालूम है और वह इससे इन्कार नहीं कर सकते, मनुस्मृति के पढ़ने वाले इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि पहले के समाज में डाइवोर्स नहीं था। आपने कुन्ती का नाम सुना होगा। कुन्ती के सन्तान नहीं होती थी। तो धार्मिक रीति से उनका समागम व्यास मुनि से हुआ चूंकि कुन्ती के पति इस योग्य नहीं थे। अगर आप महाभारत की एक कापी मंगा दें तो मैं आपको यह बता सकती हूं।

चूंकि पांडव पांडु रोग से पीड़ित थे और वह इस काबिल नहीं थे कि उनके वंश हो सके और उस समय में वंश का होना एक धार्मिक चीज़ मानी जाती थी, वंश को कायम रखना एक बहुत पवित्र भावना मानी जाती थी, और उसी वंश को कायम करने के लिए, चूंकि पांडव इस काबिल नहीं थे कि उनसे वंश हो, कुन्ती का व्यास मुनी के साथ एक सम्बन्ध किया गया था . . . .

एक माननीय सदस्य : यह गलत है। उनका सूर्य के साथ सम्बन्ध कायम हुआ था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह सही बात है। सूर्य के साथ भी सम्बन्ध कायम हुआ था और श्री व्यास मुनि के साथ भी सम्बन्ध कायम हुआ था, महाभारत के पढने वाले इसे पढ लें . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कया माननीय सदस्या विधेयक में नियोग का उपबन्ध चाहती हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मझे इस बात को कहने के लिये

इसलिये मजबूर होना पड़ा कि कछ लोगों के मुंह से जो मैं ने भाषण सुने हैं उनसे मुझे यही लगता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर स्पेशल मैरेज बिल पास हो जायगा तो हमारी संस्कृति का गला घुट जायगा और हमारे समाज का गला घुट जायगा और यहां की स्त्रियां अपने मुंह में कालिख लगा कर दुनियां के सामने एक ऐसी एग्ज़ाम्पिल और तसवीर पेश करेंगी कि जिससे हम हिन्दुस्तानियों का सिर नीचा हो जायगा। मुझे ऐतराज़ है कि ऐसी बातें यहां पर कही गयीं जिनका स्पेशल मैरेज बिल से कोई खास ताल्लुक नहीं है। स्पेशल मैरेज बिल समाज के एक बहुत संकुचित हिस्से से ताल्लुक रखता है, मुझ ये बातें यहां पर इसलिये कहनी पडीं चूंकि मैं ने देखा कि इस मामले में इतनी गर्मी दिखलाई गयी और यह ज़िक्र आया कि औरतें यहां पर मुंह में कालिख लगा कर समाज के ऊपर एक काला धब्बा लगा देंगी और मैं फिर इस बारे में कहती हूं कि यहां मौका नहीं है कि तलाक के बारे में मैं कुछ कहूं, परन्तु मैं इतना जरूर बतला देना चाहती हूं कि मनुस्मृति में जिन बातों पर तलाक देने की व्यवस्था दी गयी है, उससे ज्यादा हमारे यहां तलाक देने की बात नहीं कही गयी है। मनुस्मृति को उठा कर देख लें जितनी बातें उसमें तलाक के बारे में कही गयी हैं, मैं कहती हूं कि आज के हिन्दू समाज में वह हिम्मत नहीं है कि इन बातों को आगे रख कर कचहरी के सामने यह कहे कि हम तलाक देने का अधिकार स्वीकार करते हैं . . .

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): एक भी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति, उनका निर्देश पाराशर स्मृति से है।

एक माननीय सदस्य: उन्होंने कहा मनुस्मृति।

उपाध्यक्ष महोदय: उनका तात्पर्य पाराशर स्मृति है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको बतलाना चाहती हूं कि जो लोग इस कानून से इतना डरते हैं वह इसलिये डरते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति और एक परम्परा चली आ रही है उसको इस कानून के पास हो जाने से एक धक्का लगेगा। मैं मानती हूं कि परम्परा संस्कार का निर्माण करती है, परन्तु कभी २ ऐसा भी देखने में आता है कि कोई परम्परा कुसंस्कार का निर्माण करती है और आप भली भांति जानते हैं कि कितनी ही परम्पराएं आज कुसंस्कार बन गयी हैं, यह हम आप और हमारा समाज भली भांति जानता है और जब परम्परा कुसंस्कार बन जाती है, तो देश और समाज का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उस परम्परा को बदल कर एक नयी परम्परा कायम करे और यकीन मानियें कि उस परम्परा से जो संस्कार बनेगा और उसकी जो नींव होगी वह मज़बूत होगी। यह स्पेशल मैरेज बिल जो लाया गया है उसका एक ही मकसद है कि आज जो हमारे यहां एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, उनके लिये बहुत से बंधन हैं जैसे एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म के मानने वाले से शादी नहीं कर सकते, हमारे कृपालानी जी ने कहा कि हमें विवाह के मामले में युनिफार्मिटी की ज़रूरत नहीं लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि युनिफार्मिटी की ज़रूरत हमारे सिद्धान्तों में, हमारे सोचने और रहने के ढंग में न होती तो यह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा यहां नहीं होता। हिन्दू और मुसलमान जो वर्षों से यहां पर साथ रहते आये हैं चूंकि वह आपस में मिल नहीं सके, अपने हृदयों को मिला नहीं सके और उनकी संस्कृति और खाने और रहने का ढ़ंग जुदा २ रहा और एक नहीं हो सका, इसलिये हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना और जो खून इसके पीछे बहा वह अभी तक चादर सूख नहीं पाई है। अगर हम यहां हिन्दुस्तान में युनिफार्मिटी कायम नहीं करेंगे तो न जाने यहां अभी कितने और पाकिस्तान बन सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि प्रांतीयता का द्वेश भाव कितना बढ़ रहा है और आपस में कितना मतभेद

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

विद्यमान है लेकिन यह पंडित जवाहरलाल का ही व्यक्तित्व है जो हर एक चीज को आपस में जोड़े हुए हैं परन्तु यह जोड़ आखिर कितने दिनों तक कायम रह सकेगा अगर आपसी समझौता, मानसिक और नैतिक समझौता लोगों में नहीं होगा और अगर हम ऐसा नहीं कर लेते तो हो सकता है कि यह जोड़ पंडित जी के बाद छिन्न भिन्न हो जाय और इसलिये इस जोड़ को बनाये रखने के लिये हमें सामाजिक और नैतिक एकता कायम करना जरूरी है । मैं उस स्टेट बिहार से आती हूं जहां अभी पंडित जी ने पिछले दिनों सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर कहा था कि बिहार की जो जातीयता है वह दिल्ली तक पहुंचती है और उसकी गंध राष्ट्रपति भवन और मेरे घर तक पहुंचती है । आज बिहार में जो यह जातीयता फैली हुई है इसको मिटाने का सबसे सरल तरीका यही है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादी करने लगें। दूसरे प्रदेशों के बारे में मैं नहीं जानती परन्तु अपने प्रान्त के बारे में कह सकती हूं जहां कि जातीयता की नींव पड़ चुकी है और जिस जातीयता के कारण हमारे समाज का दिल तडफड़ा रहा है वहां के राज्य को सुगठित बनाने के लिये और वहां के समाज को संगठित करने के लिये यह जरूरी है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति वालों में विवाह करने लगें और वैसी शादी करने के लिये यह स्पेशल मैरेज बिल एक बहुत बड़ा वरदान बन करके आया है और हमें यह नहीं समझना चाहिये कि अगर यह अधिकार दे दिया जायगा तो औरतें इस कानून और अधिकार का मिस्युज़ करेंगीं । हमारे पुरुषों को ऐसा मालूम होता है कि हम औरतों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो वे कहते हैं कि स्त्रियां हमारी बेटर हाफ हैं लेकिन मन में कुछ और सोचते हैं और यह उनका आचरण ठीक उस प्रकार है जैसे बगल में छुरी और मुंह में राम राम। एक ज़बान से तो आप कहते ह कि औरतें हमारी बेटर हाफ हैं, उन्होंने हमारी मनष्यता को बचाया है, वे हमारी संस्कृति की कर्णधार हैं और दूसरी तरह अगर वे एक कदम आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप उनका रास्ता रोकते हैं और धर्म और संस्कृति के नाम पर उनका गला घोंटते हैं तो मैं कहूंगी कि यह आप बहुत बुरी चीज़ कर रहे हैं । इसलिये मैं पुरुष समाज से अपील करूंगी कि अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो साफ २ हमें कहें कि औरतें इस लायक नहीं हैं कि उन को ये अधिकार दिये जायें, उनका हृदय और अस्तित्व इस लायक नहीं है कि वे समझदारी से काम कर सकें, तो हम उनकी उस साफदिली को समझ लेंगें और तब हम उसके लिये लड़ेगें, परन्तु एक तरफ तो उनका हमारे लिये यह कहना कि हमारी सब कुछ तुम हो, तुम देवी हो और शक्ति का अवतार हो लेकिन जब उस शक्ति की देवी को कानून के द्वारा कुछ अधिकार देने की बात आती है और हमारी तरफ से इस बात का आश्वासन दिलाया जाता है कि हमारे द्वारा इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा तो आप कहते हैं कि यह अधिकार देना ठीक नहीं है और इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो जायगी ।

जहां तक तलाक का अधिकार स्त्रियों को देने का सवाल है, मेरी स्टेट में मुझे मालूम है कि बहुत सी नीची जातियों में डाइवोर्स की प्रथा प्रचलित है और अगर पति के साथ पत्नी नहीं रह सकती है तो लड़की के मां बाप यह फैसला करते हैं और गांव में जो पंच होते हैं वह यह फैसला करते हैं कि लड़की को पति से अलग कर दिया जाय और उस की दुबारा शादी हो । मैं आप को बतलाऊं कि मेरे गांव में एक दाई रहती थी, एक दिन वह मेरे पास बड़ी दयनीय अवस्था में आई, उसके बदन में जगह २ मार के निशान पड़े हुए थे और वह आ कर कहने लगी कि मालकिन अपने यहां मुझे रहने के लिये ठौर दे दीजिये.... **(अन्तर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अन्तर्बाधा न करें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: तो मैं बतला रही थी कि उस के सारे बदन पर फफोले पड़े हुए थे, पति की मार खाने के बाद वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मालकिन मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे कम से कम दो, तीन दिन यहां पर रहने की जगह दे दो, उस पर मैं ने और दूसरी घर की औरतों ने कहा कि तुम ऐसे बेरहम पति के साथ रहती क्यों हो और अपने मां बाप से कह कर अपनी दुसरी शादी क्यों नहीं करवा लेती । वह कहने लगी कि नहीं मालकिन ऐसा मुझे नहीं करना है, अगर वह मारता है तो वह प्यार भी तो करता है, मार की तकलीफ तो दो, तीन दिन तक रहेगी, लेकिन प्यार भी तो वह करता है, तो यह हालत है हमारे यहां की औरतों की ।

हमारे यहां की औरतें यह दृष्टांत पेश करती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह दृष्टांत पेश नहीं करतीं कि चूंकि आप ने आजादी दी है इसलिये वे इस आजादी का दुरुपयोग करें जहां पर अनपढ़ स्त्रियों की यह हालत है वहां पर पढ़ी लिखी औरतें क्या इतनी गिरी हुई हैं कि अगर आप का कानून उन को कुछ आजादी देता है तो वह उस का दुरुपयोग करेंगी, ऐसी बात जिस समाज में हो जिस वर्ग में हो, वह समाज और वह वर्ग अधिक दिनों तक कायम रह सकेगा, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस लिये समाज को सुसंगठित बनाने के लिये परस्पर प्रेम की जरूरत है, परस्पर विश्वास की जरूरत है और परस्पर समझौते की जरूरत है । इस लिये इस मामले में, मैं समझती हूं कि हाउस के मेम्बरों को इस बात पर एतराज नहीं होना चाहिये, खास कर पुरुष समाज को इस बात का एतराज नहीं होना चाहिये कि स्पेशल मैरेज बिल पास हो जाने के बाद हम उस का दुरुपयोग करेंगी । यह स्पेशल मैरेज बिल तो इस लिये बनाया गया है कि जहां पर आपसी दुराव हो, जहां लोगों में जातीयता का झगड़ा हो, धार्मिक झगड़ा हो वहां उन को एकता के बन्धन में बांधें । आज हिन्दुस्तान में आगे बढ़ने के लिये किस चीज की सब से ज्यादा जरूरत है ? लोगों को एक बन्धन में बांधने की जरूरत है, नहीं तो दुनियां की कोई शक्ति, दुनियां की कोई रीति रिवाज, जहां पर कि सब लोग एक दूसरे से आगे बढ़ जाने में मशगूल हैं, या दुनियां की कोई नारी हमें कहां तक आगे ले जा सकेगी इस की मैं कल्पना नहीं कर सकती । इस लिये आज जरूरत है कि हम समाज को एक नये बन्धन में बांधें, समाज के अन्दर एक सामूहिक विकास की सृष्टि करें । और सामूहिक विकास इसी तरह से हो सकता है कि हम हजारों हरिजनों को स्वतंत्रता दें, हम लोग हजारों पिछड़ी जाति के लोगों को उठायें । परन्तु जब तक हम अपनी लड़कियों को उन के पास नहीं देंगे या उन की लड़कियों को अपने पास नहीं लायेंगे तब तक आपस में दृढ़ता और समझौता नहीं हो सकता, आपस में प्रेम नहीं कायम हो सकता । हमारे कुछ हरिजन भाई इस बात से इन्कार कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं हैं । लेकिन उन को इस को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है । मैं तो इस को बहुत अच्छा समझती हूं कि हमारी पिछड़ी जाति के कहे जाने वाले लोगों में अधिक मजबुती है, उन के यहां हमारे समाज से ज्यादा विकास हो गया है, उन का समाज ज्यादा सहनशील है जिस समाज को ऊंची जाति का समाज कहा जाता है उस से नीची जाति का कहा जाने वाला समाज ज्यादा गम्भीर और सहनशील है और हमें उन से सबक सीखना है । इस लिये उन के घबराने की बात नहीं है । यह बहुत अच्छी बात है कि ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोगों को तथाकथित नीची जाति के लोगों से सबक सीखना है, हमें उन के पीछे चलना है ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

वह लोग हमारे पीछे नहीं चल रहे हैं। वह लोग हमें आपस में मेलजोल बढ़ाने का सबक सिखा रहे हैं। हम को सामाजिक परम्परायें कायम करनी हैं, हर जाति को दूसरी जातियों से मिलाना ह, और उस का सुलभ तरीका यह है कि आपस में शादी व्याह हो, अगर यह नहीं होगा तो किसी जाति की उन्नति नहीं हो सकती।

श्री गणपति राम (जिला जौनपुर-पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या ने कई बार ऊची जाति तथा नीची जाति का नाम लिया है। इस समय कोई ऊंची या नीची जाति नहीं हैं, पिछड़ी हुई और प्राग्रेसिव जातियां जरूर हैं, लेकिन ऊंची और नीची जातियां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ने कहा कि ऊंचे कहलाने वाले नीचे कहलाने वालों से सबक लें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने कहा ही है सोकाल्ड।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इस शब्द को बीबी जी को वापस लेने के लिये कहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि आनरेबुल मेम्बर ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की और वह गलतफहमी में पड़े हुए हैं। उन्हें मेरी बातों की गहराई में भी जाने की कोशिश करनी चाहिये। मैं ने कहा था कि जो ऊंची कही जाने वाली जातियों के लोग हैं उन को नीची कही जाने वाली जातियों के लोगों से सबक लेना चाहिये। मेरा तो सारा आक्षेप कही जाने वाली ऊंची जाति के लोगों पर है। माननीय सदस्यों को मेरी बातों की गहराई में जाना चाहिये :

अब मैं आप का अधिक समय नहीं लेना चाहती। सिर्फ इतनी ही अपील करना चाहती हूं कि पुरुष लोग हमारे ऊपर विश्वास रक्खें और यह समझें कि हम इस विश्वास का कभी निरादर नहीं करेंगी। औरतों ने हमेशा ही पुरुष का आदर किया है। शक्ति ने भी जब अवतार लिया था तब पूरी जानकारी में अवतार लिया था और पूरी जानकारी में ही उन्होंने पुरुष समाज को स्वीकार किया था, उस का धर्म स्वीकार किया था और उस की धारणाओं का चिन्तन किया था। इस लिये मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगती हूं पुरुष समाज से कि हम स्त्रियों पर विश्वास रक्खो, हमें समझो कि हम मनुष्य हैं, हमें समझो कि हम तुम्हारी जिन्दगी का ही एक अंग हैं। अगर वह ऐसा समझेंगे तो हम कभी उन के विरुद्ध खड़ी नहीं होंगी।

इस बिल के सम्बन्ध में हमारे सदस्यों ने कहा कि उम्र ५० की कर दी जाय, कुछ और ने कहा कि ३५ कर दी जाय, नहीं तो रोज ही डाइवोर्स होगा और रोज शादी होगी, प्रेम का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसी बातें कुछ बुरी मालूम होती हैं कानों को, अच्छी नहीं मालुम होती हैं। इन से हमारा हृदय दुखता है, स्त्रियों का हृदय दुखता है ऐसी बातों को सुन कर इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि विवाह-विच्छेद की अनुमति देते ही स्त्रियां उसका मनमाना उपयोग करने लगेंगी। एक के पीछे एक पुरुष सदस्य उठता था और इस प्रकार के विचार प्रकट करता था। यह एक अत्यन्त लज्जाजनक दृश्य था। क्या स्वयं वे ऐसा वातावरण नहीं निर्माण कर सकते जिससे कि उनका जीवन-साथी विवाह-विच्छेद की बात भी न सोचे।

स्त्री को ताले में बन्द रख कर आप उसके पातिव्रत्य का रक्षण करना चाहते हैं । यह पातिव्रत्य परस्पर विश्वास या आदर पर आधारित नहीं है । इसी लिये आप डरते हैं कि स्त्रियों को विवाह-विच्छेद की अनुमति देते ही समाज का नाश होगा । किन्तु मुझे विश्वास है कि बहुसंख्या पुरुष वर्ग भी यह धारणा नहीं रखता ।

यह विधेयक प्रणय की खुली अनुज्ञप्ति देने के लिये नहीं बनाया गया है । इसका उद्देश्य सुखी कुटुम्ब तथा सुखी समाज निर्माण करना है । हम दाम्पत्य-जीवन को विवशता के नहीं अपितु स्वाधीनता के आधार पर रखना चाहते हैं ।

आज समाज में ९९ प्रतिशत स्त्रियों की स्थिति क्या है ? कइयों का परित्याग किया गया है और कइयों को अन्याय तथा अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है । इस समाज में जगह जगह तिरस्कृत, पराधीन, अपमानित स्त्रियां नज़र आती हैं । इन्हीं के लिये हमें क़ानून बनाना है ; उन अपवादभूत व्यक्तियों के लिये नहीं, जो इसकी आड़ में स्वैर प्रणय करना चाहते हैं । भारतीय महिलायें इस विधेयक से अनुचित लाभ उठा कर अपनी परम्परागत प्रतिष्ठा कभी नहीं खोयेंगी ।

न्यायालयों में एक दूसरे पर व्यभिचार के आरोप लगाये बिना, परस्पर की सम्मति से तथा कोई खास कटुता निर्माण किये बिना अलग हो जाना निश्चित ही अच्छा होगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

विवाह-विच्छेद जैसे गम्भीर तथा उत्तरदायित्वपूर्ण मामलों में जल्दबाज़ी से काम नहीं लिया जाना चाहिये । इसी लिये तीन वर्ष की सीमा रखी गई है । विवाह के पश्चात् तीन वर्ष तक कोई व्यक्ति विवाह-विच्छेद की याचिका नहीं दे सकता । इतने दिन तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद कोई भी व्यक्ति विभक्त होने का निर्णय गम्भीरता से ही लेगा । विशेषत: घर तथा बच्चों में उलझी हुई स्त्री छिछलाई प्रकट नहीं करेगी ।

मैं अपवादों की बात नहीं करना चाहती । अपवाद तो हर बात के होते हैं । इसलिये परस्पर स्वीकृति की इस बात पर हमें आपत्ति नहीं उठानी चाहिये ।

हम अपने देश के लिये विधान बनाते हैं, दूसरे किसी देश के लिये नहीं । अत: हम यहां १८ वर्ष की आयुमर्यादा रखनी चाहिये । शारदा अधिनियम के होते हुये भी यहां १२, १३ और १४ वर्ष की आयु में विवाह होते हैं । देहातों में षोडश वर्षीय बाला को स्यानी माना जाता है । १८ वर्ष की आयु में तो उसे प्रौढ़ा माना जाता है । और लड़का १८ वर्ष का हो जाने पर तो हम भी उसे वयस्क मानते ह । अत: हम १८ वर्ष की आय में विवाहबद्ध होने का अधिकार दे देना चाहिये । बुज़ुर्ग लोग यवक युवतियों का मार्गदर्शन अवश्य करें, किन्तु प्रेम, मित्रता तथा श्रद्धा के आधार पर, न कि क़ानन के ।

बच्चों के और सत्व से सम्बन्धित खण्ड के बारे में मझे अतीब प्रसन्नता हुई है । आखिर बच्चे माता पिता के पापों को क्यों भोगें । श्री टेकचन्द जी ने बहुत ज़ोर शोर से कहा है कि बच्चों को वैधता प्रदान करने से तो धर्म ही नष्ट हो जायेगा । मैं यह कहती हूं कि पुरुष और स्त्री को चाहे कितना सख्त दण्ड दो परन्तु माता पिता के पाप का कारण बच्चों को दण्डित करने का अधिकार आप को नहीं है । आप माता पिता के लिये विधान बना सकते हैं ।

सदन को, दाम्पत्य विधेयक अधिकार लौटाने के प्रश्न के बारे में जो खण्ड है उस

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

पर विचार करना चाहिये । अब समय आ गया है जब कि न्यायालय का यह नीच अधिकार छीन लेना चाहिये । चाहे किसी कारण से दो व्यक्तियों में सम्बन्ध विच्छेद हो जाये, हम समझौते का प्रयास कर सकते हैं परन्तु कोई न्यायालय भी शक्ति द्वारा दाम्पत्य अधिकार दिलवाने का अधिकार नहीं रखता । हमारे समाज में सामान्यतः पुरुष ऐसे अधिकार की मांग करता है और स्त्री को उस की इच्छा के प्रतिकूल मजबूर किया जाता है । इस से मैं कहती हूं कि यह खण्ड समानता के अधिकार के विरुद्ध जाता है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड का लोप कर देना चाहिये और केवल न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद और विवाह विच्छेद के खण्ड रहने देने चाहियें ।

अब मैं सम्बन्धों की प्रतिषिद्ध श्रेणियों के प्रश्न की ओर आती हूं । गत अनभव के कारण हमें भय है कि इस विधेयक का न जाने क्या बने । परन्तु तो भी हमें प्रसन्नता होगी यदि हम विधेयक के खण्डों को अधिक उदार बना सकें ताकि अधिक से अधिक लोग इस के अन्तर्गत आ जायें और इस का लाभ उठा सकें । हमें उन सब खण्डों को निकाल देना चाहिये जो लोगों को भयभीत करते हैं । मेरा तो यह विचार है कि चाहे किसी प्रकार का विवाह रहा हो और चाहे वह पहले प्रतिषिद्ध श्रेणी के सम्बन्ध ही रहे हों सभी विवाहों को पंजीबद्ध करने की अनुज्ञा दे देनी चाहिये यदि वह रूढ़िबद्ध विधि के अधीन हो । इस में कुछ भी असंगत नहीं है, इस संक्रमण काल में हमें रूढ़िगत विचारों के साथ संघर्ष करना होगा । कभ कभी हमें उस में समझौता भी करना पड़ेगा । हम में से बहुत से लोग अच्छी सन्तान उत्पत्ति के सिद्धान्तों के कारण प्रतिषिद्ध श्रेणी के सम्बन्धों को मुक्त रखना चाहते हैं । और सैंकड़ों हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो रूढ़िबद्ध विधि का पालन करते हैं । हमें उन पर इस प्रकार की बात ठूंसनी नहीं चाहिये । हमें यह चाहते हैं कि विवाह की एकरूप असैनिक संहिता बनाई जाये और इस के उपबन्धों को उदार रखा जाये ।

मैं उस तीन वर्ष की कालावधि के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं जो कालावधि विवाह-विच्छेद की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व समाप्त होनी चाहिये । यह सच है कि हमें कतिपय कालावधि रखनी पड़ेगी, । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कभी ऐसे मामले होते हैं कि पति पत्नी कदापि इकट्ठे नहीं रह सकते । अतएव मेरा निवेदन है कि इस खण्ड का सर्वथा लोप कर दिया जाये । यदि सदन इस के लिये सहमत न हो तो कम से कम यह कालावधि घटा देनी चाहिये ताकि विवाह-विच्छेद करवाने वालों के लिये अत्यधिक कठिनाई न हो ।

"असाध्य पागल" वाली मद के उपबन्ध के सम्बन्ध में मैं ने यह कहना है कि जब न पागलपन और पागलपन की कालावधि क्रम से एक दूसरे के बाद आती है तो कौन कह सकता है कि कोई पागल सर्वथा असाध्य है ?

हमें इस बात पर विचार करना है कि यदि किसी व्यक्ति को एक विवाह के लिये बाध्य करना है तो क्या उसे विवाह-विच्छेद का अधिकार नहीं देना चाहिये । यदि एक विवाह की व्यवस्था स्वीकार की जाये तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कई प्रकार की रुग्नावस्था बीमारियों और असाध्य चरित्र की परिस्थितियां भी हो सकती हैं ।

अन्त में अपीलों के प्रश्न को लेती हूं । मैं अनुरोध करती हूं कि अपीलों की

कालावधि सीमित रखने के लिये हमें विधेयक में कुछ उपबन्ध करना चाहिये । यह उपबन्ध इस प्रकार होना चाहिये कि न्यायालय ६ मास के भीतर विवाह-विच्छेद की कार्यवाही को समाप्त करे और अपील के लिये आगामी कालावधि भी और ६ मास से अधिक नहीं होनी चाहिय । मैं अनुभव करती हूं कि हमें वर्तमान व्यवस्था में कुछ एसे परिवर्तन करने चाहियें कि जिन से समानता बढ़े और स्त्री तथा पुरुष दोनों हाथ में हाथ देकर अपने और समाज के भविष्य को उज्ज्वल बनायें ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला—शिमला) : मैं भावुकता अथवा धार्मिकता के आधार पर नहीं वरन् लौकिक और सांसारिक आधार पर निरपक्ष रीति से इस विषय पर विचार करना चाहता हूं । मैं इस नाशकारी प्रवृत्ति से भी दूर रहना चाहता हूं, जिस से यह विचार किया जाता है कि विधेयक में सभी कुछ गलत है और उसे समाप्त कर देना चाहिये । मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें कुछ अपवाद रहित उपबन्ध हैं और कुछ अन्य ऐसे हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है ।

मैं इस सिद्धान्त का स्वागत करता हूं कि देश में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिस से कोई नागरिक किसी अन्य नागरिक से चाहे वह किसी मत और धर्म का हो विवाह कर सके । परन्तु विधेयक के सभी उपबन्ध इतने लाभकारी नहीं है । विधेयक में कहा गया है कि केवल वे लोग इस के उपबन्धों का लाभ उठा सकते हैं जो दोनों इस देश के नागरिक हों । एसा प्रतीत होता है कि इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि इस देश के भारतीय राष्ट्रजन और नागरिकों के अतिरिक्त हज़ारों ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय उद्भव के हैं परन्तु इस देश के नागरिक नहीं हैं । मैं इंगलैंड के विदेशी विवाह अधिनियम के साथ तुलना करना चाहता हूं । इस अधिनियम के अधीन ब्रिटिश प्रदूत इंगलैंड से बाहर कहीं भी ऐसे विवाह की मंजूरी दे सकता है जहां सम्पत्ति में से एक अंग्रेज़ नागरिक हो । परन्तु हमारा प्रदूत ब्राज़ील के एक भारतीय के विवाह की मंजूरी नहीं दे सकता । यह ब्रिटिश अधिनियम हमारे ही एक अधिनियम के आधार पर मान्य हुआ है परन्तु न जाने क्यों हम अपने प्रदूतों को अधिकार देने में इतने सावधान हैं .....

श्री बिस्वास: जब हम अंग्रेज़ी विदेशी विवाह अधिनियम के अनुसार एक विदेशी विवाह अधिनियम बनायेंगे तब इसे देखेंगे । इस समय इस पर विचार हो रहा है । हम उस अधिनियम में वैसा उपबन्ध कर देंगे ।

श्री टेकचन्द: क्योंकि विधि मंत्री ने इस सम्बन्ध में वचन दिया है अतः मैं इसे छोड़ देता हूं परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि विधि में यह एक बड़ी त्रुटि है । जब तक हम ब्रिटिश विदेशी विवाह अधिनियम को स्वीकार कर रहे हैं और अपने प्रदूतों को वैसे ही अधिकार नहीं दे रहे तब तक यह एक कलंक है जिसे दूर करना चाहिये ।

श्री बिस्वास: मैं ने संयुक्त प्रवर समिति में बताया था कि एक ऐसी विधि पर विचार हो रहा है ।

श्री टेकचन्द: खण्ड ४ मूल खण्डों में से एक है । उस में कहा गया है कि ऐसा विवाह नहीं हो सकता जिसमें ये रुकावटें हों कि पति पत्नी में से एक का साथी ज़िन्दा हो, या एक मूर्ख अथवा पागल हो या उन में से किसी की आयु २१ वर्ष की न हुई हो या उन को प्रतिषिद्ध श्रेणी के सम्बन्ध हों । यह सब तो ठीक है परन्तु इस के साथ ही यह उपबन्ध होना चाहिये कि यदि विवाह पदाधिकारी को यह निश्चय हो जाय कि जो विवाह

[श्री टेकचन्द]

हो रहा वह किसी ग़लती झूठ, दबाव, सस्ती अथवा धोखे के कारण हो रहा है तो वह उस विवाह की मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। अनुभव बताता है कि ऐसी गलतियां व्यक्ति, शर्त गुणावगुण, अथवा भाग्य के कारण हो जाया करती ह। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति अथवा लड़की यदि यह दावा करे कि वह पूर्णतः कंवारा अथवा कंवारी है परन्तु बाद में पता लगे कि वह अपने आपको बेचती रही है तो पुरुष कह सकता है कि उसके साथ धोखा किया गया है और इसलिये वह एक ग़लती ही थी। अतः इस प्रकार के अंशों को खण्ड ४ में सन्निहित करना चाहिये।

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य तो यह सुझाव दे रहे हैं कि न केवल तब जब कि कोई आक्षेप उठाया गया हो वरन् साधारण कार्य-विधि में भी सामान्यतः बिना किसी के आक्षेप के विवाह पदाधिकारी को ज़रूर पूछताछ करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में स्वयं निश्चय कर लेना चाहिये। क्या उन का यही सुझाव है ?

श्री टेकचन्द : ऐसा कदापि नहीं। आक्षेप सम्बन्धी खण्ड का वह रूप सर्वथा आपत्तिजनक है जिस के अनुसार माता अथवा पिता खण्ड ४ में उल्लिखित बातों के आधार पर विवाह पदाधिकारी के समय विवाह के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकता है। अनुमान कीजिये कि किसी पिता को यदि यह पता लग जाये कि उस के बच्चे के साथ धोखा किया जा रहा है अथवा उस के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है और वह विवाह पदाधिकारी के समक्ष यह प्रमाणित करने के लिये तैयार हो तो वह पदाधिकारी इस आक्षेप को न्यायोचित मानते हुये भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकेगा।

श्री वेंकटारमन: क्या माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि २१ वर्ष की आयु के पश्चात् भी किसी व्यक्ति के साथ धोखा अथवा ज़बरदस्ती की जा सकती है ?

श्री टेकचन्द: मेरे माननीय मित्र को अन्य देशों के विवाह सम्बन्धी विधियों का कुछ अनुभव नहीं है। वहां कई ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों के साथ धोखा हुआ है। मुझे अपने देश के एक मामले का भी पता है जिस में एक स्त्री डाकुओं के एक दल में नौकर थी जो अपने आप को बहुत अच्छे चरित्र वाली विधवा के रूप में प्रस्तुत करके विवाह किया करती थी और इस प्रकार उस ने कइयों को लूटा था।

श्री वेंकटारमन: खण्ड २५ के अधीन उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई विवाह ज़बरदस्ती अथवा धोखे के कारण हो जाये तो उसे निरर्थक घोषित किया जा सकता है।

श्री टेकचन्द: जो इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है उसका यह अभिप्राय है कि पहले एक लड़की का सतीत्व नष्ट हो जाये, परिवार की बदनामी हो जाये और उस के पश्चात् विधि न्यायालय के समक्ष उसे प्रमाणित किया जाये।

श्री बिस्वास: मैं बीच में एक मिनट यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ उनका अभिप्राय है मैं उसे समझ नहीं सका। दबाव अथवा धोखे का प्रश्न तभी पैदा होता है जब कि दोनों व्यक्ति १८ अथवा २१ वर्ष की आयु से कम हों, दूसरे शब्दों में जिस स्थित में विधि का यह उपबन्ध है कि दोनों व्यक्ति का विवाह करने के लिये उन्हें अपने माता पिता और अभिभावकों की मंजूरी लेनी चाहिये। मैं यह ठीक समझ नहीं सका कि धोखे अथवा दबाव से क्या होगा ? यदि

मंजूरी की बात नहीं तो वे क्या प्रश्न हैं जो विवाह पदाधिकारी को उस समय पूछने चाहियें। यदि मंजूरी का प्रश्न नहीं रह जाता तो धोखे अथवा ज़बरदस्ती का क्या प्रश्न उत्पन्न होता है।

श्री टेकचन्द: तो यह तर्क दिया जा रहा है कि २१ वर्ष से ऊपर आयु होने पर किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता अथवा कोई ग़लती नहीं करता। यह तर्क सर्वथा ग़लत है। अनुमान कीजिये कि कोई धूर्त व्यक्ति किसी लड़की से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे वे पत्र हैं जो तुम ने किसी युवक को लिखे थे। अब या तो मुझ से विवाह करो नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम करूंगा। ऐसी आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति में वह लड़की भाग निकलने के लिये तैयार हो जाती है।

श्री बिस्वास: मैं अपने मित्र की तरह यह कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे मामले में विवाह अधिकारी के सामने इतनी सामग्री होगी कि वह उसकी छान बीन कर सकेगा।

श्री टेकचन्द: मैं कहता हूं कि एक बार माननीय मंत्री विवाह अधिकारी की स्थिति में तो अपने आप को रखें। मान लीजिये यदि कोई पिता यह कहता है कि उसकी लड़की को छल या धमकी से विवाह पर राज़ी किया गया है तो क्या यह आपत्ति करना ठीक न होगा। आपने व्यवस्था की है कि केवल खंड ४ के अन्तर्गत आने वाली आपत्तियों पर ही विवाह अधिकारी विचार करेगा। मैं चाहता हूं कि विवाह अधिकारी को उपरोक्त प्रकार की आपत्ति सुनने का भी अधिकार दिया जाये।

इस विधेयक में आपत्ति उठाने का जो अधिकार दिया गया है वह बहुत ही सीमित है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर या मोहल्ले में १४ दिन रह लेता है तो उस स्थान के विवाह अधिकारी को उसके सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि वह व्यक्ति किसी से विवाह करना चाहे तो विवाह अधिकारी इसकी सूचना अपने कार्यालय में लगवा देगा। मैं ने प्रवर समिति में इस बात पर ज़ोर दिया था कि कम से कम ऐसे विवाह की सूचना उस व्यक्ति के माता पिता के पास पंजीबद्ध डाक से भेज दो, या उसे समाचारपत्रों में प्रकाशित करवा दो, या किसी प्रकार इस बात की सूचना उसके माता पिता तक पहुंचा दो लेकिन प्रवर समिति ने मेरी एक न मानी। उसने केवल यह कहा कि इस सूचना की एक प्रति उस विवाह अधिकारी के पास भेजी जा सकती है जहां का वह व्यक्ति स्थायी रूप से रहने वाला हो। इस सूचना के सम्बन्ध में आपत्ति उठाने का अधिकार केवल ३० दिन तक सीमित रखा गया है और वह भी उस तारीख से जब से कि इस प्रकार की सूचना उस विवाह अधिकारी के कार्यालय में लगाई जाती है जहां कि वह व्यक्ति १४ दिन तक जा कर रहता है। इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि जिन लोगों को प्रस्तावित विवाह के सम्बन्ध में आपत्ति उठानी है वे न उठा सकेंगे। क्योंकि यदि ३० दिनों के अन्दर आप ऐसी आपत्ति नहीं उठा सके तो आपका अधिकार हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा। चाहे विवाह प्रतिषिद्ध पीढ़ियों के बीच ही क्यों न हो रहा हो। और तो और यदि आपत्ति ठीक न निकली तो बेचारे आपत्ति करने वाले को गिरह से १००० रुपये और देने पड़ेंगे। बात तो यह है कि आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में किसी प्रकार की आपत्ति उठाये।

अब मैं तलाक पर आता हूं। मुझे खंड २७ के उपखंड (ग) पर घोर आपत्ति है। मान लीजिये यदि कोई व्यक्ति सात वर्ष

[श्री टेकचन्द]

के लिये जेल भेज दिया जाता है तो उसकी पत्नी तलाक के लिये प्रार्थनापत्र दे सकती है। तलाक को इतना सरल बना देना उचित नहीं है। खंड २८ में बताया गया है कि तलाक के लिये प्रार्थनापत्र प्रथम तीन वर्षों तक स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि आप तलाक की व्यवस्था ही करने जा रहे हैं तो पति-पत्नी को तीन वर्ष तक बांधे हुये क्यों रखना चाहते हैं, विशेषतः जब कि वे एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि अनबन होते हुये भी वे तीन वर्ष तक विवाहित रहने का ढोंग रचते रहें ? पर स्त्री गमन के मामलों में तो तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करना बहुत ही कठिन बात होगी कोढ़, बीमारी आदि के मामले और बात हैं।

जारज संतान के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि चाहे कोई सन्तान विवाह से उत्पन्न हुई हो या और किसी प्रकार से उसे जारज सन्तान ही समझा जायेगा। चाहे वह सन्तान व्यभिचार या प्रतिषिद्धि पीढ़ियों के बीच अवैध मैथुन के कारण ही क्यों न हुई हो। इस प्रकार तो आप व्यभिचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मान लीजिये एक लड़की के किसी व्यक्ति से गर्भ रह जाता है और बाद में उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से कर दिया जाता है तो लड़की तो यह जानती है कि उसके पेट में किस की सन्तान है लेकिन उसका पति नहीं जानता, फिर भी उसे उसका पिता बनना पड़ता है। मैं पूछता हूं जारजता को लेकर आप उस पर पितृत्व क्यों लादना चाहते हैं ? आप किसी भी बच्चे को वह स्थान क्यों देना चाहते हैं जो उस बच्चे को मिलता है जो विवाहित स्त्री-पुरुष से पैदा होता है।

अन्त में, मेरा यही निवेदन है कि यह विवाह कोई करार नहीं है। विवाह स्वयं में एक संस्था है उसका जीवन में एक स्थान है। इसका समाज से गहरा सम्बन्ध है। आप इन बातों पर पुनः एक बार ध्यानपूर्वक विचार करें।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि राज्य-परिषद् ने विवाह योग्य आयु को १८ से बढ़ा कर २१ कर दिया है। मैं यह नहीं समझ पाता कि प्रगतिशील व्यक्ति भी अपने लड़के लड़कियों का विवाह कम आयु में कैसे कर देते हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत विभिन्न समुदायों के व्यक्ति विवाह कर सकेंगे। उनके धर्म अलग अलग होंगे। अतः यह आवश्यक है कि उनकी आयु कम से कम २१ वर्ष तो हो। वह यह तो समझ सकें कि उनका विवाह उनके लिये आनन्द की ही वस्तु न होगा बल्कि उसके साथ उन पर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आ जायेंगी। १८ वर्ष की लड़की क्या समझ सकती है कि वह क्या कर रही है और उसका परिणाम क्या होगा। जहां तक उसके माता-पिता की राय लेकर विवाह करने का सम्बन्ध है मैं पूछता हूं कि वे ही यह किस प्रकार जान सकते हैं कि लड़का और लड़की इस निश्चय पर काफी सोच विचार करने के पश्चात् पहुंचे हैं मेरे विचार में उनकी राय लेकर विवाह करना ठीक न होगा। लड़के और लड़की दोनों को ही स्वयं गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् ऐसा निश्चय करना चाहिये। अतः २१ वर्ष की आयु होना ही ठीक है।

मेरे मित्र डा० रामा राव ने यह बात उठाई थी कि १८ वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के लिये वर मिलना कठिन हो जाता है। मैं कहता हूं उन्हें आपस में प्रेम करने दीजिये लेकिन विवाह २१ वर्ष की आयु पर ही कीजिये। यह उनके लिये परीक्षाकाल होगा। इस समय में वे अपने

आपको और भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे ।

जनगणना आयुक्त के अनुसार १९८२ में भारत की जन-संख्या ५२ करोड़ हो जायेगी । जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आबादी बढ़ने का एक यह भी कारण है कि लड़के लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है । यह भी प्रमाणित हो चुका है कि २० से ४० वर्ष की आयु के बीच भारत में स्त्रियां जितने बच्चे पैदा करती हैं वे १५ से १९ की आयु के बीच पैदा करने वाली स्त्रियों की तुलना में १२ प्रतिशत कम हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम विवाह योग्य आयु में वृद्धि करें । मैं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में लड़के और लड़की की आयु २१ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये ।

प्रवर समिति ने विधेयक में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । उनमें एक यह भी है कि कोई व्यक्ति अपनी बहन की लड़की से विवाह नहीं कर सकता है । ना ही भाई और बहन की संतानों में विवाह हो सकता है । ऐसे विवाह न केवल सुजनन-विद्या की दृष्टि से अवांछनीय हैं बल्कि कुटुम्ब सम्बन्ध की दृष्टि से भी । देश के अनेक भागों में लोग अपने चाचा की लड़की को अपनी ही बहन समझते हैं । खेलते समय भी यह बच्चे अपने आपको भाई बहन ही कहते हैं । फिर इन में आपस में विवाह कैसे हो सकता है ? लेकिन खंड १५ के उपखंड (ङ) द्वारा आपने यह छूट दे दी है कि रीति रिवाज़ होने पर ऐसा किया जा सकता है । यदि आप रीति रिवाज़ ही लाना चाहते हैं तो अदालती विवाह के सम्बन्ध में ऐसी संहिता बनाने का क्या लाभ ? जब आप एक चीज़ को बुरा मानते हैं तो उसे हर जगह ही बुरा समझिये । भेद भाव करने से काम नहीं चलेगा ।

खण्ड २४(१) (२) में "नपुंसक" के पश्चात् "हीजड़ा" शब्द जोड़ देना चाहिये, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का कोई भी लिंग नहीं होता है ।

खण्ड २७ में विवाह-विच्छेद का एक कारण परित्याग रखा गया है । जब कोई पुरुष या स्त्री सन्यासी या साधु हो जाते हैं, तो वे कह सकते हैं कि उन्होंने शुभ कार्य के लिये अपने जीवन-साथी का परित्याग कर दिया हैं । इसलिये ऐसी अवस्था में विवाह-विच्छेद की आज्ञा मिलनी चाहिये । पाराशर स्मृति में भी इसका उपबन्ध किया गया है । खण्ड २७, उपखण्ड (ग) का कोई लाभ नहीं है । यह विवाह-विच्छेद का कारण नहीं होना चाहिये । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति किसी को अपनी पत्नी के नहीं अपितु अपनी बहन या निकट सम्बन्धी के साथ अनैतिक सम्बन्ध जोड़ते देख कर उसकी हत्या कर डाले, तो दण्ड-संहिता के अधीन उसे दस वर्ष का दण्ड मिलेगा । किन्तु इस कृत्य को विवाह-विच्छेद का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये । अतः इस खण्ड को निकाल देना चाहिये ।

पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद के विषय के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि विवाह-विच्छेद के आधार कम से कम होने चाहियें । मैं इन आधारों को पाराशर स्मृति के अनुसार पांच तक सीमित रखना चाहता हूं, अर्थात् पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, परिव्राजक बन जाने, नपुंसक हो जाने या आचार भ्रष्ट हो जाने पर स्त्री विवाह-विच्छेद ले सकती है। ऐसी अवस्थाओं में विवाह-विच्छेद अनिवार्य हो जाता है और परस्पर सहमति होने पर पति पत्नी का विवाह-विच्छेद हो जाना चाहिये । किन्तु एक को नहीं, बल्कि दोनों को इसके लिये अभियाचना करनी चाहिये । दूसरी

[श्री डाभी]

बात मैं यह कहूंगा कि चाहे स्त्री पुरुष में कितने ही विभेद क्यों न हों, न्यायाधीश को सब साक्षियों को सुन कर और सब बातों पर विचार करके यदि उसे संतोष हो कि दोनों प्रसन्नतापूर्वक इकट्ठे नहीं रह सकते हैं केवल उसी अवस्था में विवाह-विच्छेद की अनुमति देनी चाहिये ।

अन्त में मैं एक सुझाव रखंगा कि विवाहित जीवन के बीस वर्ष बीत चुकने पर, विवाह-विच्छेद की किसी अवस्था में भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि बम्बई अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, क्योंकि इतने लम्बे समय तक शान्तिपूर्वक वैवाहिक जीवन का उपभोग करने पर विवाह-विच्छेद का कोई आधार ही नहीं रहता है । इसलिये इसका उपबन्ध करने वाला खण्ड इस विधेयक में जोड़ दिया जाना चाहिये ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर--झुंझनूं--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मुझे पूरे सैशन में बोलने का एक बार भी मौका नहीं मिला है । अगर किसी आदमी को पूरे सैशन में अपने विचार प्रकट करने का मौका न मिले तो उस के यहां आने से क्या लाभ है ? अगर आज भी हम को मौका नहीं दिया जायेगा तो कब दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : उनको अवसर मिलेगा ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : सदन विधि मंत्री का इस विशिष्ट विधेयक को इतने सुन्दर ढंग से रखने का अवश्य आभार मानेगा । मंत्री महोदय अपनी ओर से नहीं अपितु सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे । तो भी मैं माननीय मंत्री को इन दो विधेयकों को प्रस्तुत करने का श्रेय दिये बिना नहीं रह सकता हूं । इन विधेयकों ने अधिक विवाहों का मार्ग खोल दिया है और अविवाहित, विधुर या विधवा तथा विवाह-विच्छेदित, इन तीन श्रेणियों में देश का विभाजन कर दिया है । इस विधेयक के द्वारा युवकों और युवतियों के अतिरिक्त बड़ी उम्र के लोगों को भी विवाह की आशा की झलक दिखाई देगी । किन्तु इसके अधीन विवाह-विच्छेदित युवतियों की सारी संख्या हो जायेगी, जिनकी ओर समाज के प्रौढ़ों और वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित हो सकेगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इस ढंग से न बोल कर उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से बोलना चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं भावावेश से दूर रह कर शान्तिपूर्वक बोल रहा हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि सभापति महोदय ने मेरी बात को ठीक ठीक समझा नहीं है । मैं तो सम्पूर्ण मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

मैं यह कह रहा था कि मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं । साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि कुछ खण्डों को और विस्तृत बना दिया जाय । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक की अनुसूची में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी जानी चाहिये कि बहन की पुत्री या माता की बहिन के पुत्र या माता की बहिन की पुत्री से विवाह की अनुमति दी जाय, ताकि इस देश के हिन्दुओं के सभी वर्ग इस विधेयक का लाभ उठा सकें ।

प्रगतिशील वर्ग को हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक के उपबन्धों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये, ताकि जो कोई भी विवाह में बचत और सुविधा चाहे, वह इस विधेयक से लाभ उठा सके । मैं माननीय

विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस देश के प्रगतिशील हिन्दुओं को अधिक से अधिक सन्तुष्ट करें। परन्तु उन्हें रूढ़िवादियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये।

श्री विस्वास: उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है।

श्री आर० के० चौधरी: दूसरे विधान में माननीय मंत्री ने दम्पति कलह को बहुत प्रमुख स्थान दिया है। ऐसा करना उचित नहीं है ऐसे घरेलू झगड़े तो पति पत्नी को आपस में ही तय कर लेने चाहियें। इनको विधान में स्थान देना उचित नहीं है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब सचिव राज्य परिषद् से प्राप्त हुआ एक सन्देश पढ़ेंगे।

राज्य परिषद से संदेश

सचिव: यह तीन संदेश राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त हुये हैं:—

(१) राज्य परिषद् ने अपनी १९ मई, १९५४ की बैठक में लोक सभा की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य परिषद् विस्थापित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति (मुआवज़ा) और पुनर्वास अनुदानों के भुगतान तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में अवश्य सम्मिलित हो। राज्य परिषद् उस संयुक्त समिति के लिये इन व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करती है:—

१. श्री एच० पी० सक्सेना,
२. मौलाना मोहम्मद फ़ारुकी,
३. डा० रघुवीर सिंह,
४. श्री जगन्नाथ कौशल,
५. श्री थान्हलीरा,
६. डा० अनुप सिंह,
७. श्रीमती मोना हेन्समैन,
८. श्री आई० बी० बीड,
९. श्री सी० एल० वर्मा,
१०. श्री डी० नारायण,
११. सैयद मज़हर इमाम,
१२. श्री एच० सी० दासप्पा,
१३. श्री एन० आर० मलकानी,
१४. श्री थियोडोर बोड्रा,
१५. श्री प्यादा वेंकट नारायण,
१६. श्री जोगेन्द्रसिंह मान,
१७. श्री अब्दुर रज्ज़ाक खान।

(२) राज्य परिषद् ने अपनी १३ मई, १९५४ की बैठक में लोक सभा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि परिषद् अपने सदस्यों में से वर्ष १९५४–५५ की लोक लेखा समिति के लिये सात सदस्य नाम निर्देशित करे। परिषद् की १८ मई १९५४ की बैठक में इस प्रयोजन के लिये यह सात सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये:—

१. श्रीमती लायलेट आल्वा,
२. दीवान चमन लाल,
३. श्री के० एस० हेजड़े,
४. श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू,
५. श्री राम प्रसाद तमता,
६. श्री मोहम्मद वलीउल्ला,
७. श्री जे० पी० के० वल्लभराव,

(३) लोक सभा द्वारा १४ मई, १९५४ को पारित संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक को राज्य परिषद् ने बिना किसी संशोधन के १९ मई, १९५४ को स्वीकार कर लिया है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार २१ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—202 PSD—26 11-54—285